हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

30 मार्च, 1979

खंड 1, अंक 20

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुक्रवार, 30 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(20)1
तारांकित प्र न एवं उतर	(20)5
अतारांकित प्र न एवं उतर	(20)18
व्यवस्था का प्र न– गवर्नमैंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र को ि ाफ्ट करने संबंधी	(20)19
ध्यानाकर्शण सूचना– हरियाणा राज्य से दुधारू प ाुओं के निर्यात संबंधी	(20)22
वक्तव्य– (ए) मुख्य मंत्री द्वारा– (i) हरियाणा राज्य से दुधारू प ाुओं के निर्यात	

संबंधी (ii) गवर्नमैंट आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र को ि ाफ्ट करने संबंधी	(20)22 (20)24
वाक आउट	(20)24
सदस्य को निकालना	(20)25
वक्तव्य (पुनराम्भ) (बी) सिंचाई मंत्री द्वारा लघु सिंचाई नलकूप निगम से लाभ प्राप्त करने वालों के लिए राहत उपायों की घोशणा संबंधी (सी) कृशि मंत्री द्वारा गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, रोहतक में अभिकथित इररैगुलैरिटीज संबंधी (डी) वित मंत्री द्वारा हरियाणा से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर बिकी कर की चोरी रोकन संबंधी विधेयक को वर्तमान सै ान में पे ा न करने संबंधी	(20)26 (20)27

	(20)30
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(20)31
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(20)33
रिपोर्टस पे ा करना– (i) सुबार्डिनेट लैजिस्ले ान कमेटी की दसवीं रिपोर्ट (ii) एस्टीमेट्स कमेटी की ग्याहरवीं रिपोर्ट	 (20)34 (20)34
दि हरियाणा म्यूनिस्पिल (अमैंडमैंट) बिल, 1979	(20)34
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1979	(20)34
दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल, 1979	(20)57
वाक आउट	(20)76
दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल, 1979 (पुनराम्भ)	(20)

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 30 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब एक मंत्री जी भाोक प्रस्ताव करेंगे।

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन): स्पीकर साहब, मैं बड़े कश्ट के साथ सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। 28 मार्च को, अर्थात आज से दो दिन पहले भारत की संसद के सांसद श्री हीरा लाल पटवारी का अक्समात देहावसान हो गया। वे बड़े योग्य पार्लियामैंटेरियन थे। उनका जन्म डाबरा, जिला नागौर, राजस्थान में 16 नवम्बर, 1914 को हुआ था। इनकी प्रारम्भिक ि ाक्षा जमालपुर जिला मैमनसिंह, बंगलादे ा में हुई। वे 1957 से लेकर 1968 तक आसाम प्राईमरी टीचर्ज ऐसोसिए ान के अध्यक्ष रहे। जब अखिल भारतीय ि ाक्षकों की एक समिति बनीं तो 1961 से लेकर 1972 तक अर्थात लगातार 11 साल तक वे उसके प्रधान रहे। इनका संबंध कई सामाजिक और भौक्षणिक

संस्थाओं के साथा रहा। स्पीकर साहब, वे यूनिवर्सिटी कोर्ट के मैम्बर भी थे। वे मंगलदोई, जो आसाम में एक जिला है, उसकी जिला परिशद के अध्यक्ष भी रहे। स्पीकर साहब, इन्होंने न ाबंदी के लिए बहुत बड़े काम किए। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकम जो हमारी ध्रोहर है उनके विकास में, खेलों में और आदिवासियों के फोक म्यूजिक वगैरह में भी इनकी रूचि रही। स्पीकर साहब, आसाम के राजनैतिक जीवन में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1957 से लेकर 1962 तक और फिर 1967 से लेकर 1972 तक आसाम विधान सभा के सदस्य चुने जाते रहे। 1977 में जब लोक सभा का चुनाव हुआ उसमें भी वे चुनकर आए। स्पीकर साहब, वे गरीब के लिए, डाउनट्रोडन के विकास के लिए सदा प्रयत्न करते रहे। उनके निधन से इस सदन को बड़ा गहरा कश्ट हुआ है।

इसी प्रकार, स्पीकर साहब, हमारे एक साथी का देहावसान हुआ है जो पंजाब विधान सभा में हमारे साथ थे। उनका नाम है भगत गुरां दास हंस। उनका जन्म 12 जनवरी, 1920 को होि ायारपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी ि ाक्षा भी होि ायारपुर में पाई। स्पीकर साहब, पसमांदा जाति से संबंधित होने के कारण, बाल्मीकि परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने इस वर्ग के उत्थान के लिए बहुत काम किया। उन्हें मालूम था कि बालमिकि जाति के बच्चे कुछेक मजबूरियों कारण ि ाक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने भागीरथ प्रयास करके होि ायारपुर क्षेत्र

में कई प्राईमरी स्कूल खुलवाएं। यही नहीं, जागीरदारों के पास जो मजारे हुआ करते थे उनको उनका हम दिलवाने के लिए और सरकार की तरफ से उनको कर्जे दिलवाने के लिए तथा अन्य सुविधाएं दिलवाने के लिए बड़े भारी प्रयास किए। वे 1952 से लेकर 1977 तक लगातार पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वे हमारे साथी थे। स्पीकर साहब, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता का राजनीतिक नेता का, इस संसार से उठ जाना इस सदन के लिए बड़े दुःख की बात है। तो मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन को उनके निधन से गहरा कश्ट है। हम सब उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करते है।

श्री भाम ोर सिंह(नरवाना): अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। असम से पार्लियामैंट के मैम्बर श्री हीरा लाल पटवारी का अभी दो रोज पहले दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। इसी प्रकार पंजाब के भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 भगत गुरां दास हंस, जो सारे पंजाब के पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों के बहुत बड़े लीडर थे, उनका भी तीन चार रोज पहले देहान्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों विभूतियों का हमारे राजनैतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इनके दुनिया से चले जाने से बड़ा भारी खला पैदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां मैं इनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं वहां मैं सदन के नोटिस में एक और महान व्यक्ति के निधन की

सूचना भी लाना चाहता हूं। हरियाणा के सांस्कृतिक जगत के एक बहुत बड़े कलाकार, एक बड़ी महान विभूति श्री नरसिंह जी थे। वे भापड़ौदा गांव, जिला रोहतक के रहने वाले थे। उनका पिछले महीने 78 साल की उमर में निधन हुआ। उसके पांच छः रोज पहले वे मुझे मिले थे। नरसिंह जी हरियाणा के सांस्कृतिक जगत के बीरबल के नाम से जाने जाते थे। अध्यक्ष महोदय, वे आर्य समाज के भी बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। वे चौधरी छोटूराम जी के भी सहयोगी थे। अध्यक्ष महोदय, उनका ऐसे वक्त निधन हुआ, जब हरियाणा का सांस्कृतिक जगत पहले से ही बहुत पुअर है। श्री नरसिंह जी के यहां से चले जाने से उस जगत को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। मैं आपके माध्यम से डाक्टर साहब से भी और मुख्य मंत्री जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि उनका नाम भी इस प्रस्ताव में भामिल किया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से इन सब महान विभूतियों को श्रद्धांजलि पे ा करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, उनका नाम इस प्रस्ताव के साथ जोड़ने में मुझे कोई आपति नहीं है। यह भूल से रह गया है। मैं स्वयं उनका बड़ा ऐडमायरर रहा हूं। निधन से कुछ दिन पहले वे मेरे पास किसी काम के लिए पधारे थे। हरियाणा मैं सांस्कृतिक चेतना लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। इस क्षेत्र में उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। उनके देहावसान का भी हमें बड़ा दुःख है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(मेहम): स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसके साथ मैं भी अपने आप को भाामिल करते हुए दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो भाब्द कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री हीरा लाल पटवारी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक दफा करनाल के अन्दर प्राईमरी स्कूलज के लिए अलग डायरैक्टोरेट बनाने के संबंध में टीचर्ज की कांफ्रेंस हुई थी और उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। उस वक्त अध्यापकों में यह चर्चा थी एक पटवारी स्कूल के टीचर्ज के फंक ान को क्या प्रिजाइड ओवर करेगा लेकिन आज जब डा0 मंगल सैन जी ने भाोक प्रस्ताव पे ा करते हुए कहा कि उन्होंने भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जैसे ि ाक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र मैं, तो मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसी महान विभूति का हमारे दे ा से चले जाना बहुत ही दु:ख की बात है। यह क्षति पूरी नहीं की जा सकसती। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इन महान विभूतियों ने अपने जीवन में भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए, जो रास्ते हमें दिखाए उन पर हमें चलना चाहिए और जो कार्य दपसे पूरे नहीं हो सके उनको उन द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल कर हम पूरा करने का प्रयास करें। चौधरी भाम ोर सिंह जी ने हमारे मरहूम बुजुर्ग श्री नर सिंह जी का जिक्र किया है। डाक्टर साहब ने बड़ी कृपा की है कि उनका नाम भी इस लिस्ट में भाामिल कर दिया है। जैसा कि चौधरी भाम ोर सिंह जी ने भी कहा उन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता

था। उनके नाम के साथ एक नाम और भी जुड़ा हुआ था। उनको ताऊ नरसिंह जी के नाम से सभी लोग जानते है। जिस तरह से रेडियो पर ताऊ झगडू का नाम अक्सर आता था उसी तरह से ताऊ नरसिंह को भी लोग जानते थे। वे बहुत ही खु ादिल थे। ऐजुके ान पर वे बहुत ही अच्छा प्रचार करते थें। उनका प्रचार बहुत ही एजूकेटिव हुआ करता था। वे चौधरी छोट राम के कितने सहयोगी थे, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उन्होंने जो हरियाणा के लोगों को ि ाक्षा दी उसे हम भूला नहीं सकते। हमारे पास दो भाब्द दु:ख में कहने के सिवाए कुछ नहीं है। भगवान उनके परिवार को यह दु:ख सहने की भाक्ति प्रदान करें और उनकी आत्मा को भाांति प्रदान करे।

चौधरी संत कंवर(हसनगढ़): स्पीकर साहब, माननीय डाक्टर साहब ने जो भाोक प्रस्ताव सदन में पे ा किया है, मैं अपने आपको उसमें भाामिल करता हूं। संसद सदस्य श्री हीरा नंद पटवारी और भगत गुरां दास हंस, पंजाब के भूतपूर्व विधायक, हमारे बीच से चले गये है। श्री पटवारी ने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी सराहनीय कार्य किये उन कार्यों की वजह से वे आम छोटे कर्मचारियों में बड़े प्रिय हुए है। अगर कोई छोटा कर्मचारी देश की ईमानदारी से सेवा करे तो वह अपनी मेहनत के सहारे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। इन दो महान विभूतियों के साथ ही हरियाणा की महान विभूति चौधरी नर सिंह जी भी हमारे बीच से चले गये है। जिस दिन हमें यह पता चला कि चौधरी नर

सिंह जी हमारे बीच से चले गये है तो बड़ा दु:ख हुआ। उन्होंने तमाम जिन्दगी चौधरी छोटू राम जी के साथ बितायी। उन्होंने चौधरी देवी लाल जी के साथ भी काफी साल बितायें। वे माननीय मुख्य मंत्री के खास नजदीकी दोस्तों में से थे। अभी दो महीने पहले मेरी कांस्टीच्युएंसी में एक मीटिंग हुई थी, उसमें चौधरी नर सिंह जी भी आये हुए थे। उस मीटिंग मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह और दूसरे मंत्री लोग भी आए हुए थे। वे हमे ाा जनता पार्टी के साथ रहे। वे बड़ी हिम्मतवाले थे। कांग्रेस भाासनकाल में कोई गलत बात होती थी तो वे उसी वक्त उसका खंडन किया करते थे। उनमें बड़ी हिम्मत थी। अगर जनता पार्टी में कोई गलत बात होती थी या कोई गलत काम होता था तो भी वे खंडन करते थे। मैं अपने को इस भाोक प्रस्ताव में भाामिल करते हुए और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव आत हमारे सामने है उसमें हम अपने आपको भाामिल करते है। श्री हीरा नंद पटवारी जी ने जो भी काम किये है वे मेरे से पहले बोलने वाले भाईयों ने अर्ज किये है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किये है। जहां तक भगत गुरां दास हंस का ताल्लुक है, वे हमारे साथ ज्वायंट पंजाब में मैम्बर रहे। उनके निधन पर मुझे खासतौर पर दु:ख है। वे पंजाब में मेरे साथ बैठा करते थे और हम उनसे सबक लिया करते थे, उनसे मि वरा

किया करते थे। जो भी वे राय दिया करते थे वह बड़ी कामयाब राय समझी जाया करती थी। उनकी जुदाई से हमें बहुत दुःख है।

जहां तक श्री नर सिंह जी का संबंध है वे हरियाणा के माने हुए कवि थे। जिस तरह से पहले वक्तों में पंडित लखमी चंद और प्यारा का नाम चला करता था उसी तरह से इनका नाम भी चला आ रहा था। कोई साठ साल से हम उनका नाम सुनते आ रहे है। भजनों में भी श्री नर सिंह जी का नाम बड़ा म ाहूर था। उन्होंने अपने टाईम में लोगों में बड़ी जागृति पैदा की। उनसे लोगों को बड़ी अच्छी ि ाक्षा और राय मिलती थी। इन सब की जुदाई के बाद सिवाए इसके हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को भाांति पहुंचे। हम सब अपने आपकों इस अफसोस में भाामिल करते है। हमारी हमदर्दी और हमारा अफसोस उनके परिवारों तक पहुंचाया जाये।

श्री अध्यक्षः स्वर्गीय नेताओं के बारे में जो विचार और भावनायें सदन में प्रकट की गई है, मैं भी अपने आपकों उनमें भाामिल करता हूं। इनमें श्री हीरा नंद पटवारी ने और श्री गुरां दास हंस ने लेजिसलेटर के तौर पर दे ा की बड़ी सेवायें की है। इसी तरह से नर सिंह जी भी बहुत बहादुर और दिलेर थे। उनके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। जाति तौर पर तो उनकी ही कम है। मैं इस सदन की भावनाओं और हमदर्दी को

भाोकजदा परिवारों तक पहुंचाऊंगा। अब मैं आप से निवेदन करता हूं कि उनकी याद में दो मिनट के लिए मौन धारण करैं।

(इस समय दिवंगत नेताओं की याद मैं सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान अब सवाल होंगे।

Parity amongst the M.B.B.S. Doctrors and Ayurvedacharya Vaids

***925. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give equal emoluments and facilities to M.B.B.S. Doctors and Ayurvedacharya Vaids; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented by Government?

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा0 कमला वर्मा):

(क) नहीं।

(ख) भून्य।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब वैद्य और एलोपैथिक डाक्टर समान सेवा करते है तो उनके वेतन में अन्तर क्यों रखा जा रहा है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा राज्य में यूनानी औशद्यालय के वैद्य नान–गजेटिड पोस्टस पर है। इसका कारण यह है कि पहले जो भी ि ाक्षण संस्थायें थीं वे अच्छी नहीं होती थीं, बच्चों की पढ़ाई का भी ठीक प्रबंध नहीं था। लेकिन अब उनका एडमि ान ठीक तरह से होने पर उनकी क्वालिफिके ान भी दूसरे डाक्टरों के बराबर होगी। अब जो नियुक्ति होगी वह मैरिट के आधार पर होगी। अब पे–कमी ान को इस बात के लिए कह दिया गया है कि उनके वेतन इतने होनें चाहिए।

डा0 बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो भी आयुर्वेदिक डिसपेंसरियां हरियाणा में है इनमें जो दवाइयां इस्तेमाल होती है, ये कौन–कौन सी कम्पनियों से खरीदी जाती है और क्या बनी बनाई खरीदी जाती है?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक प्रचेज कमेटी बनाई हुई है। हम स्टैंडर्ड की फर्मों से टेंडर इंवाइट करते है। उसके बाद जिसके रेट कम होते है उसको आर्डर दिये जाते है।

चौधरी ि िव राम वर्मा: मैं मंत्री महोदये जी से जानना चाहूंगा कि आजकल दे ा में दस प्रकार का वातावरण बन रहा है कि आयुर्वैदिक दवाइयों की तरफ ज्यादा रूझान हो रहा है। मैं समझता हूं कि बी0ए0एम0एस0 की डिग्री एम0बी0बी0एस0 के बराबर है और इनकी एम0 डी0 भी एक दूसरे के बराबर है तो फिर इनको बराबर वेतन देने के लिये क्यों नहीं विचार किया जाता? इनको भी उन जितनी सुविधायें देने में कितना समय लग जायेगा?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: इसका जवाब तो मैं पहले दे चुकी हूं कि यहां पर आयुर्वैद के नाम पर दुकानें खोली हुई थी। आयुर्वैदिक ि ाक्षण संस्थानों के नाम पर चर्चा पर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता था। अब तक जो अलग–अलग नाम से जैसे बुटाना तथा गौड़ ब्रहाम्ण आयुर्वैदिक कालेज खोले हुए थे, इन सब को बंद करके सिर्फ दो कालेज हरियाणा में चलाये जायेंगे। एक तो खानपुर में लड़कियों के लिये और दूसर अस्थलबोहर में लड़कों के लिये। हमने उन्हें कह दिया है कि यहां पर मैरिट पर एडमि ान होनी चाहिए। बच्चों को ऐजुके ान देने के लिए क्वालीफाईड टीचर्ज होने चाहिए। 1963 में एक वैद्य को 80 रूपये मिलते थे यानी वह नौकरी 80 रूपये में भुरू करता था। 1.2.1969 को 150 रूपयें हुए और 1.5.1975 से 200 रूपये हो गये। उसके बाद 14.2.1978 में उनका वेतन 350 रूपये किया है।

चौधरी ि िव राम वर्मा: यह तो महंगाई के कारण बढ़ा है?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: नहीं जी, महंगाई के करण नहीं बढ़ा। अब हमने पे–कमी ान को उनका केस भेज कर यह कह दिया है कि क्योंकि अब क्वालीफाईड डाक्टर्ज निकलेंगे, इसलिये उन्हें एम0बी0बी0एस0 डाक्टर्ज के बराबर रखा जाये।

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी जनता सरकार आयुर्वेदिक सिस्टम को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा बात करते रहे है? (व्यवधान व भाोर)

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन): स्पीकर साहब, यह तो इररैलेवैंट सी बात है।

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, अजीब बात है कि डाक्टर साहब बीच में वैसे ही बोल पड़ते है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए।

श्री देवेंद्र भार्मा: आप मेहरबानी करके इन्हें हिदायत दें कि ये बीच में इन्टरफीयर न किया करें। ये बड़ें बुजुर्ग आदमी हैं। यदि हम कुछ कहेंगे तो ये बुरा मनायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल पूछिए।

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, मेरा बड़ा रैलेवैंट सवाल है कि हमारी सरकार आयुर्वैदिक सिस्टम की बढ़ौतरी के लिये क्या कर रही है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि अभी मंत्री महोदया ने यह कह दिया कि सारे हरियाणा में सिर्फ दो आयुर्वैदिक कालेज ही रहेंगे। हमारे यहां कुरूक्षेत्र में पिछलें दिनों मुख्य मंत्री जी यह कह कर आये थे कि यहां का कालेज यहीं पर रहेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के आ वासन को ध्यान में रखते हुए वहां का कालेज वहीं पर रहने दिया जायेगा या उसे उठाकर कहीं और ले जायेगें?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: अगर किसी कालेज में इक्विपमैंट अच्छे नहीं होंगे, अच्छी फैसिलिटीज नहीं होगी तो बच्चों को वे ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे। बच्चों को ट्रेनिंग अगर पूरी नहीं मिलती है तो वे कालेज उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे जो हम करने देना नहीं चाहते। चाहे आयुर्वैदिक संस्थान है या मैडिकल कालेज हे, हम चाहते है कि वहां पर क्वालीफाइड डाक्टर्ज हों । हमनें यह देखा है कि अस्थलबोहर के अन्दर इन सारी चीजों का पूरा इन्तजाम है। अगर कभी कुरूक्षेत्र का कालेज बंद होगा तो वहां के बच्चों को अस्थलबोहर में ही भेजा जायेगा।

कामरेड भांकर लाल: मैं हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से यह प्र न पूछना चाहता हूं कि क्या श्री गणपति सिंह जो हरियाणा आयुर्वैदिक बोर्ड के चेयरमैन है, क्वालीफाईड भी है या नहीं?

श्री अध्यक्षः इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री फतेह चंद विजः मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वैदिक प्रैक्टी ानर्ज जो दूसरी स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, वे अगर अपना रजिस्ट्रे ान इस स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहें तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः अगर उसकी क्वालीफिके ान पूरी होगी और उसके पास सर्टीफिकेट होगा फिर तो हो सकता है क्योंकि आपको भाायद पता होगा कि पहले बहुत से केसिज में बोगस रजिस्ट्रे ान हो चुकी है। इसलिये हम अब यह सारी बातें देखकर रजिस्ट्रे ान करते है।

श्री अध्यक्षः इसकी क्या कोई आल इंडिया रजिस्ट्रे ान नहीं होती?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः सैंट्रल एसोसिए ान ने कुछ क्वालीफिके ान निर्धारित की हुई है। उन्हीं के आधार पर रजिस्ट्रे ान होती है।

चौधरी गया लालः मैं हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से यह जानना चाहता हूं कि स्टेट में आयुर्वैदिक ही नहीं, यूनानी हस्पताल भी है। मेरे हल्के में जोहड़ा मैं एक यूनानी हस्पताल है, वहां पर 4–5 साल से कोई हकीम नहीं है। क्या उन यूनानी हस्पताल को आयुर्वैदिक हस्पताल में बदला जायेगा क्योंकि वहां पर कोई आदमी 4–5 साल नहीं लगा है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं.....
....

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह एक्सपंज होना चाहिए।

Mr. Speaker: This should not be recorded.

श्री मूल चंद मंगलाः मंत्री महोदया को जैसे कि यह पता ही है कि स्टेट में ज्यादातर दो किस्म की डिस्पैंसरियां हैं। एक तो आयुर्वैदिक और दूसरी एलोपैथिक। जो आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियां है, उनकी हालत बहुत कमजोर है। वहां पर इंतजाम भी ठीक नहीं है और दवाईयां भी पूरी नहीं मिलती। इसलिये लोगों का रूझान ऐलोपैथिक डिस्पैंसरियों की तरफ ज्यादा है। दूसरे मंत्री महोदया ने यह बताया है कि स्टेट में सिर्फ दो ही आयुर्वैदिक कालेज चलाये जायेंगे.....

श्री अध्यक्षः जरा छोटा सवाल पूछने का कश्ट करें।

श्री मूल चंद मंगलाः मैं छोटा सवाल ही पूछ रहा हूं। एक तो यह सवाल है कि दो कालेज की बजाये क्या ज्यादा कालेज खोलने का कश्ट करेंगी, और दूसरे क्या वजह है कि लोग

आजकल आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियों में जाने की बजाय एलोपैथिक डिस्पैंसरियों की तरफ ज्यादा जाने लगे है, इसलिये क्या उनका प्रबंध ठीक करने की कोि ा ा करेंगे?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः जहां तक लोगों का आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियों में जाने का संबंध है, हम खींच कर तो उन्हें ले जा नहीं सकते। लेकिन हमारा प्रयास जरूर रहेगा कि हम आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियों को ठीक रखें।

चौधरी गंगा रामः मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार गांवों में आयुर्वैदिक पद्धति से इलाज को प्रोत्साहन देने के लिये डिस्पैंसरियां चलाते समय क्या–क्या फैसिलिटीज, कंसै ान और आर्थिक मदद गांव वालों को देगी?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का मेन क्वै चन से कोई संबंध नहीं है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने यहां पर यह बताया है कि कुरूक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक कालेज है, उसे बंद कर दिया जायेगा और जहां पर पढ़ाई अच्छी हो सकती है, वहां पर चलाया जायेगा। स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया को यह बताना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक कालेज है, वह काफी दिनों से चल रहा है और वहां पर

यूनिवर्सिटी भी है। क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर इस कालेज को चलने देने के लिये विचार करेगी?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ चुका है। (व्यवधान व भाोर) मंत्री महोदया ने यह जवाब दिया हुआ है कि वे दो कालेजो पर कंसैंट्रेट कर रहे है। एक अस्थलबोहर और दूसरा खानपुर वाला। अगर आप कुरूक्षेत्र के बारे में कोई अलग से सवाल पूछना चाहते है तो आप नोटिस दीजिये, आपको इसका जवाब मिल जायेगा। सवाल तो आयुर्वैदिक डाक्टरों को एम0बी0बी0एस0 डाक्टरों के बराबर पे–स्केल देने के बारे में है और आप यह समझते है कि मंत्री महोदया तो एनसाइक्लोपीडिया है आप जब चाहें तभी एकदम से वे आपके सवाल का जवाब दे दें। यह कैसे हो सकता है? (विघ्न) I would request you not to disturb the proceedings.

Chaudhri Jagjit Singh Pohloo: Sir, we full respect for you. But they should give a reply.

Mr. Speaker: Mr. Pohloo, I would request you not to disturb the proceedings of the House. Otherwise, I will be forced to names you.

(10.00 बजे)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया कि आयुर्वैदिक ि ाक्षा को बढ़ावा देने की पूरी कोि ा ा की जाएगी। क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि

अस्थलबोहर के आयुर्वैदिक कालेज में पांच हजार रूपये से लेकर दस हजार रूपये तक एक विद्यार्थी से चंदा लेकर दाखिला किया जाता है? यह जो चंदा लिया जाता है क्या वह सरकार की इजाजत से लिया जाता है और अगर नहीं तो क्या सरकार उसको बंद करेगी?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्श से कोई चंदा नहीं लिया गया। हम सरकारी ऐड दे रहे है इसलिए आगे आने वाले सालों में भी चंदा नहीं लिया जाएगा। पहले लिया जाता था।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी में जो दवाइयां दी जाती है वे देसी ही होती है या वहां पर अंग्रेजी दवा भी देने की इजाजत है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः अंग्रेजी दवा देने की कोई इजाजत नहीं, केवल आयुर्वैदिक दवा ही दी जाती है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, इस सिस्टम का नाम आयुर्वैदिक एंड यूनानी सिस्टम आफ मैडीसन है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में यूनानी भी कंबाइंड है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि यूनानी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कोई इंतजाम कर रही है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, इस सवाल से इसका कोई संबंध नहीं है।

चौधरी देसराजः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जनता पार्टी के सता में आने के बाद हरियाणा में कितनी आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियां खोली है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, 42 आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियां खोली है।

चौधरी लाल सिंहः क्या मंत्री महोदया, बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वैदिक डिस्पैंरियों में जो दवाइयां दी जाती है क्या वे किसी लेबोरेटरी में टैस्ट की जाती है? स्पीकर साहब, वे निरी मिट्टी होती है।

श्री अध्यक्षः इस सप्लीमैंटरी का मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया है कि हम आयुर्वैदिक सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते है लेकिन हरियाणा में सिर्फ दो आयुर्वैदिक कालेज है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि रिक्वायरमैंट के मुताबिक इन कालेजों में सीटें बढ़ाने के बारे मैं सरकार कोई विचार करेगी?

श्री अध्यक्षः इसके लिए अलग से नोटिस दें।

डा0 ब ्ज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, आयुर्वैदिक कालेज से जितने भी डाक्टर क्वालिफाई होकर निकलते है वे आयुर्वैदिक दवाइयों को छोड़कर ऐलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल

करना भुरू कर देते है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इस चीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा कि किसी भी आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी में अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल न दिया जाए?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमैंटरी का मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूं कि हमारी पूरी कोि ा ा है कि आयुर्वैदिक डाक्टर आयुर्वैदिक दवाई ही इस्तेमाल करें और अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल न करें।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा में कोई योग्य आयुर्वैदाचार्य नहीं है..... .....

श्रीमती डा0 कमला वर्माः यह मैंने नहीं कहा है।

स्वामी आदित्यवे ाः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या हरियाणा में कोई योग्य आयुर्वैदाचार्य है जिसको एम0बी0बी0एस0 के बराबर सुविधाएं दी जा रही है (व्यवधान)?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः किसी विधायक ने बीच में चेयरमैंन की योग्यता के विशय में कहा था। बोर्ड के चेयरमैन श्री गनपति क्वालिफाइड है, आप यह नहीं कह सकते कि वे क्वालिफाईड नहीं है।

स्पीकर सहब, अब मैं स्वामी जी के प्र न का जवाब देती हूं। अध्यक्ष महोदय, अब तक यह पोस्ट गजेटिड नहीं है और एम0बी0बी0एस0 डाक्टर की पोस्ट गजेटिड है इसलिए बराबर की सुविधाएं देने का सवाल ही नहीं था। अगले साल पे–कमी ान की रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला किया जाएगा कि इसको गजेटिड पोस्ट बनाया जाए या नहीं लेकिन अभी मैं भविश्य के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब कुरूक्षेत्र में एक आयुर्वैदिक कालेज कई सालों से चल रहा है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: इस सप्लीमैंटरी का मूल प्र न से कोई संबंध नहीं है।

Cost of Ordinary, Deluxe and Air Conditioned Buses

***923. Swami Adityavesh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total cost of Ordinary, Deluxe and Air Conditioned buses separately being run by the Haryana Roadways in the state;

(b) the cost of chassis and bodies of each bus, separately referred to in part (a) above?

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सुरेंद्र सिंह ओजला): कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

कथन

	लेलैंड 210'' व्हील ब्रेस वाईकिंग चैसिस पर प्रति बस रेट	टाटा 205'' व्हील ब्रेस चेसिस	बस रेट	
एयरकंडी ं ड	3,40,192	—	टाटा चैसिस पर वातानुकूलित बस बाड़ी नहीं बनवाई गई।	
डीलैक्स	1,66,059	—	1,54,412	
साधारण डिस्टिक	1,55,131	—	1,44,532	
(ख)	लेलैंड 210'' व्हील ब्रेस पर बस बाडी के रेट तथा वोल्टास	लेलैंड 210'' व्हील ब्रेस वाईकिं	टाटा 205'' ब्हील ब्रेस चैसिस पर प्रति बस बाडी रेट	टाटा 205'' ब्हील ब्रेस का

	एयरकंडी ान प्लांट की कीमत	ग चैसिस का रेट		रेट
एयरकंडी ंड	2,35,501 (जिसमें एयरकंडी ान की कीमत 1,26,301 भी भाामिल है)	1,04,691	—	—
डीलैक्स	61,380	1,04,691	53,560	1,00,852
साधारण	50,960(आलमैंटल)	1,09,241	48,360(आलमैंटल)	1,00,852
डिस्टिक	43,680(कम्पोजिट)		41,080(कम्पोजिट)	

नोटः— एयरकंडी ंड तथा डीलैक्स बसों के रेट 31—12—78 तक के थे।

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, एयर कंडी ंड बस की कीमत 3 लाख 40 हजार 192 रूपए बताई गई है। डिलक्स बस की कीमत 1 लाख हजार 59 रूपए बताई गई है और साधारण

बस की कीमत 1 लाख 55 हजार 131 रूपए बताई गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब हरियाणा में साधारण बसों की कमी है तो एयर कंडी ांड और डिलक्स बसें क्यों चलाई जा रही है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि एयर कंडी ांड बसों के होने से हरियाणा रोडवेज का नाम ऊंचा होता है क्योंकि दूसरी स्टेटस के पास इतनी अच्छी बसें नहीं है।

चौधरी ई वर सिंहः क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि डिलक्स बसों की बजाए क्या यह जरूरी नहीं होगा कि साधारण बसें चलाई जाएं?

श्री सुरेद्र सिंह ओजलाः मैं ई वार सिंह जी को बताना चाहता हूं कि हमारे पास बाईस सौ बसें है उनमें सिर्फ चार एयर कंडी ांड बसें है और चौदह डिलक्स बसें हैं। तो यह कोई ज्यादा नम्बर नहीं है।

श्री देवी दासः क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि डिलक्स बस और एयर कंडी ांड बस के किराए में जो फर्क को कम किया जाएगा?

श्री सुरेद्र सिंहः ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जय नारायणः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ से रोहतक के लिए डिलक्स बस चलाई जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः स्पीकर साहब, डिलक्स बसों की कमी है और हमारे मैम्बर साहेबान डिलक्स बसें चलाने के लिए कह रहे हैं। जैसा आप लोगों का विचारा होगा, वैसा सोच लिया जाएगा।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर सहाब पहले हिसार से चंडीगढ़ के लिए और हमारे मैंबर साहेबान डिलक्स बसें चलती थीं लेकिन वे बंद कर दी गई थी। क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि उनको दोबारा चलाया जाएगा?

श्री सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, फिलहाल चंडीगढ़ से दिल्ली और ि ामला से दिल्ली को डिलैक्स बसें चलाई जा रही है। पहले यमुनानगर से दिल्ली को एक डिलक्स बस चलाई जाती थी लेकिन वह बंद कर दी गई। इस समय हमारे पास कोई डिलक्स बस नहीं है। जब हमारे पास डिलक्स बस आ जाएगी तो सब से पहले यमुनानगर से दिल्ली को चलाई जाएगी उसके बाद अगर कहीं से डिमांड आएगी तो दूसरी जगह चलाने का विचार किया जाएगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि यमुनानगर से दिल्ली के लिए डिलक्स बस चलाई जाएगी। क्या चीफ पार्लियामेंटरी

सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि वह बस कब तक चलाई जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः स्पीकर साहब, जब बाडी बनकर हमारे पास आ जसएगी तो सब से पहले वहीं पर डिलक्स बस चलाई जाएगी।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, पहले एक डिलक्स बस चंडीगढ़ से जींद होकर हांसी जाती थी लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब उसके दोबारा चलाने पर विचार करेंगे?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः मैं पूरी तरह से इस वक्त नहीं बता सकता कि वह बस क्यों बदं की गई थी क्योंकि मेरे पास पूरी सूचना नहीं है। आमतौर से बस उस वक्त बंद की जाती है जब सवारियां न मिलती हों और कम रिसीट हो। हो सकता है कि वह बा इन्हीं कारणों से बंद की गई हो।

चौधरी भाकरूल्लाः क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ से गुड़गांव, सोहना, फिरोजपुर झिरका और अलवर के लिए कोई डिलक्स बस चलाने का सरकार का विचार है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः अगर डिमांड होगी तो हम जरूर चलाएंगे।

श्री हरफूल सिंहः मैं मुख्य संसदीय सचिव से जानना चाहता हूं कि डिलक्स बसों और साधारण बसों की आमदनी बराबर होती है या कोई फर्क होता है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः जो आम बसें है उनके ऊपर हमारा पर–किलोमीटर का खर्चा 1.84 रू0 आता है ओर उनसे आमदनी 1.86 रू0 पर–किलाकमीटर होती है। जो डिलक्स बसें है उन पर एक किलोमीटर के पीछे हमारा खर्चा 1.80 रू0 आता है और आमदनी दो रूपए होती है।

श्री सुरेंद्र सिंहः मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से जानना चाहता हूं कि डिलक्स बस और एयर कंडी ांड बस की एज कितनी कितनी होती है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः सभी बसों की एज आठ–आठ साल रखी हुई है।

श्री हरफूल सिंहः इन्होंने डिलक्स बस और बस का खर्चा बताया है मैंने उनकी आमदनी पूछी थी। चूंकि डिलक्स बस में कम सवारियां बैठती है इसलिये मैंने पूछा था कि डिलक्स बस और आम बस की आमदनी बराबर होती है या कम?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः मैंने बताया है कि डिलक्स बस से हमें ज्यादा आमदनी होती है।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः इस सवाल से ऐसा महसूस होता है कि स्वामी जी और चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बाडी बिल्डिंग की एक कम्पनी बनाने जा रहे हैं। (हंसी)

श्री गुलजार सिंहः जैसे कि मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि डिलक्स बसों से आम बसों के मुकाबले में ज्यादा आमदनी होती है तो क्या वे डिलक्स बसें ज्यादा चलाने का विचार रखते है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः अगर डिलक्स बसें बढ़ा दी जाएं तो आम आदमी इनके किराये का बोझ बर्दा ात नहीं कर सकेगा। डिलक्स बसें उन्हीं रोड्ज पर चलाई जाएंगी जहां हमें ज्यादा सवारियां मिलेगी।

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद टाउन से चंडीगढ़ तक कोई डिलक्स बस चलाने का विचार है? इतनी गारंटी मैं देता हूं कि वहां से खाली बस नहीं आएगी।

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भागी रामः क्या सी0पी0एस0 साहब बताने का कश्ट करेंगे जैसे उन्होंने अभी कहा कि जहां से ज्यादा सवारियां मिलेंगी वहां डिलक्स बसें चलाई जाएंगी। मेरा ख्याल है कि पैसा खर्च

करने में सिरसा जिला सबसे आगे है तो क्या सिरसा से दिल्ली को कोई डिलक्स बस चलाई जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः मैंने पहले ही कहा है कि जहां से हमें पूरी सवारियां मिलेंगी वहां जरूर चलाएंगे। अगर सिरसा से दिल्ली की आपकी डिमांड है तो वहां से हम चला कर देख लेंगे। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे सब भली–भांति जानते है कि आज सै ान का लास्ट दिन है। जैसे बोर्डिंग हाउस में हाली–डे मूड होतर है आज उसी तरह से मैम्बर साहेबान का मूड है। लेकिन मैं मैम्बर साहेबान से रिकवैस्ट करूंगा कि इस मूड के साथ साथ वे थोड़ा बहुत डिसिपलन रखने का भी ख्याल करें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, हरियाणा में बसों की हालत बहुत खराब है और बसों की कमी भी है। क्या सी0पी0एस0 साहब बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में बसों की हालत सुधारी जाएगी और बसों की कमी कब तक पूरी की जाएगी?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः इस बात का जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। मैंने बताया था कि यह एक ऐसा साल है जिसमें 512 नई बसें आई है जबकि पहले एक साल में दो

अढ़ाई सौ बसें ही आया करती थी। अगले महीने 120 बसें और आ रही है और मेरा ख्याल है कि उससे हालत सुधर जाएगी।

चौधरी खुर ीद अहमदः मैं मुख्य संसदीय सचिव से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके नोटिस में है कि कई डिलक्स बसें ऐसी है जो आर्डिनरी बसों से भी खराब है, न उसमें निकलने की जगह है और न ठीक तरह से बैठने की। तो क्या ऐसी बसों को रिप्लेस करवाया जाएगा?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः जो पुरानी डिलक्स बसें है उनकों हम थोड़ा बहुत सुधारने की कोि ा ा कर रहे है लेकिन जो नई बन रही हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने की कोि ा ा कर रहे है।

श्री सुमेर चंद भट्टः स्पीकर साहब, जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं भाायद उसका जवाब देने में चीफ पार्लियमेंटरी सैक्रेटरी साहब को दिक्कत आये। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या चौधरी लाल सिंह की पोजि ान का ख्याल रखते हुए साधारण बसों के अलावा कोई एयर बस खरीदने का विचार है जोकि चौधरी लाल सिंह के सुपुर्द की जाए और वे अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकें? (हंसी)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुरेंद्र सिंहः क्या मुख्य संसदीय सचिव बताने का कश्ट करेंगे कि हरियाणा रोडवेज की बसें प्रति दिन कितने

किलोमीटर कवर करती है और इनसे पर–किलोमीटर कितनी आमदनी है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः वैसे तो यह अलग सवाल है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब के पास तीन हजार बसें है और हमारे पास 2200 बसें है फिर भी हम डेली 6 लाख किलोमीटर कवर करते है जबकि पंजाब के बसें तो ज्यादा है लेकिन कवर वे भी इतना ही करते है।

चौधरी लाल सिंहः मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि बरवाला से दिल्ली बस चला करती थी और अब लोग फिर मांग कर रहे हैं कि बरवालस से वाया नारायणगढ़, सढ़ौरा दिल्ली को बस चलाई जाए। तो क्या इस रूट पर बस चलाने का विचार किया जाएगा?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः बरवाला से सीधी दिल्ली के लिये ज्यादा सवारियां नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम चला कर देख लेंगे। अगर हमारी रसीट्स हुई तो चला देंगे।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह ने बरवाला का रास्ता बताया है उन्हें कालका का बताना चाहिए था। (हंसी)

श्री मूल चंद मंगलाः अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं डिलक्स बसों की डिमांड हो और सवारियां भी मिलें तो वहां जरूर चलानी चाहिए। चंडीगढ़ आगरा की अगर कोई डिमांड है और आगरा तो

ऐसी जगह है जहां की सवारियां भी मिल जायेंगी इसलिए वहां डिलक्स बस चलाने की कोि ा ा की जायें।

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः हमारी पूरी कोि ा ा होती है कि दूसरी स्ट्रेटस में हम अपनी बसें ज्यादा से ज्यादा चलायें। क्योंकि आगरा जयपुर और इस किस्म के जो भाहर है इनके लिए टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है इसलिए अगर यू0पी0 गवर्नमैंट हमें इजाजत देगी तो इस रूट पर जरूर बस चलायी जायेगी।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, आज की कार्यवाही थोड़ी जल्दी खत्म करनी है क्योंकि आज बाबू मल चंद जैन जी लंच दे रहे है। (हंसी)

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, जैसा कि श्री मूल चंद मंगला जी ने कहा है कि आगरा से चंडीगढ़ डिलक्स बस चलायी जाये मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि आगरा से अमृतसर स्ट्रेट बस चलाने का कोई सरकार का विचार है?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

स्वामी आदित्यवे ाः इन बसों पर जो हरियाणा का खर्चा होता है उसका हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को लाभ होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इन बसों से कुछ व्यक्तियों को ही लाभ होता है।

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः जैसा कि स्वामी जी ने कहा है इससे तो यह लगता है कि हम अपनी डिलक्स बसें और एयर कंडी ांड बसे बंद कर दे। दूसरी स्टेटस और दूसरी दे ाों से जो खास व्यक्ति आते है उनको हम इन बसों में इधर उधर ले जाते है जिससे हमारे हरियाणा का गौरव बढता है। क्या स्वामी जी चाहते है कि हमारे हरियाणा का नाम न हो? अगर वे इस प्रकार चाहते है तो हम बंद कर देंगे।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, इस प्र न में बसों की बाडीज बनाने का भी जिक्र आया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बाडीज दूसरी स्टेटस से बनायी जाती है इनके बारे में पीछे चर्चा हुई थी कि इन में कमी ान खा लेते है। कभी सुरेंद्र सिंह कहते है कि जगन नाथ ने खा लिया तो कभी जगन नाथ कहते है कि सुरेंद्र सिंह ने खा लिया। पिछले साल बीस लाख रूपये की एक वर्क ााप फरीदाबाद में खोलने की स्कीम थी जहां सरकार ने बसों की बाडीज बनवानी थी अगर वह स्कीम मंजूर हो जाती है तो इससे कमी ान का झगड़ा ही खत्म हो जायेगा तो क्या फरीदाबाद में लार्ज स्केल पर ऐसी वर्क ााप चलाने की कोई योजना है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः पहले भी हाउस में इसके बारे में बताया जा चुका कि हम सब यही चाहते है कि हरियाणा में ही बसों की बाडिज बनायी जायें। इसके अतिरिक्त उस वर्क ााप के भाुरू होने के अलावा हमारे पास जो थोड़ी बहुत एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनसे गुड़गांव में हमने दिसम्बर में 8, जनवरी में

10, फरवरी में 12 बाडीज बनाई है और अब मार्च में 17 बाडीज बनाने जा रहे है। हमारा ख्याल है कि हम इसी साल वर्क ााप भाुरू कर देंगे। जहां तक पैसे खाने का सवाल है वह मैं बताना चाहूंगा कि उसके अन्दर किसी भी सी0पी0एस0 या मंत्री का ताल्लुक नहीं होता और ये जो बाडीज अलाट की जाती है उसकें लिए कमी नर फाइनैंस और दूसरे अफसरान होते है जैसे सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एस0टी0सी0, डी0टी0सी0 ज्वायंट एस0टी0सी0।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, हरियाणा के एक अम्बाला जिला को छोड़कर बाकी दस जिलों से चंडीगढ़ आने के लिए आमतौर पर दो ही रास्ते है। एक तो जी0टी0 रोड से अम्बाला कैंट होरक आते है दूसरा रास्ता अमबाला भाहर से पेहवा–कैथल होकर है जो हिसार की तरफ भी चला जाता है। तो यह जो सी0पी0एस0 साहब ने बताया कि चार एयर कंडी ांड और 14 डिलक्स बसें जो है वे सारी की सारी जी0टी0 रोड़ से निकलती है जबकि दूसरा रास्ता भी उतना ही लम्बा है लेकिन उधर से एक भी एयर कंडी ांड या डिलक्स बस नहीं निकलती इसका क्या कारण है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः अध्यक्ष महोदय, डिलक्स बसिज के बारे में कई मैम्बर साहेबान ने डिमांड की है। इसको जरूर कंसिडर किया जायेगा। हमारी कोि ा ा होगी कि ज्यादा से ज्यादा डिलक्स बसें आगे बढ़ाए और जो इस किस्म के रूट्स है

जैसे चंडीगढ़–हिसार, चंडीगढ़–आगरा और दिल्ली से जयपुर इन रूट्स पर हम डिलक्स बसें चलाने की कोि ा ा करेंगे।

श्री अध्यक्षः अब सवालों का समय समाप्त होता है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Enquiry against the Member of Yamuna Nagar Sugar Cane Cooperative Society

280. Shri Kanhiya Lal Poswal: Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether any enquiry was held against the member of Yamuna Nagar Sugar Cane Cooperative Society, Jagadhri, on the complaint of Shri Zohra Singh, Advocate, Jagadhri;

(b) if so, the detail of finding of the said Inquiry; and

(c) the action taken thereon?

कृशि मंत्री(बिग्रेडियर रण सिंह):

(ए) इस संबंध में श्री जोरा सिंह, एडवोकेट जगाधरी से कोई ि ाकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(बी) प्र न ही नहीं उठता।

(सी) प्र न ही नहीं उठता।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैं एक महत्वपूर्ण घटना जो लाबी में घटी है बताना चाहता हूं।.....

.....

श्री अध्यक्षः पोर्टफोलियों की बात यहां अलाउड नहीं है। I think, this has no relevance.

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन):.....

.....

श्री भाम ोर सिंहः .....

.....

डा0 मंगल सैनः यह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

Mr. Speaker: This will not be recorded.

श्री भाम ोर सिंहः.....

Mr. Speaker: This is not the place to discuss that now.

व्यवस्था का प्र न

गवर्नमैंट आयुर्वैदिक कालेज, कुरूक्षेत्र को ि ाफ्ट करने संबंधी

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, क्वै चन आवर में आयुर्वैदिक वैद्यों का सवाल आया था.....

.

(इस समय कई मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष: आपका प्वायंट क्या है? अगर आप सब इक्ट्ठे बोलेंगे तो सुनाइ कैसे देगा? एक मैम्बर बोले।

श्री देवेंद्र भार्मा: हम आयुर्वैदिक सिस्टम को बढ़ाना चाहते है.....

श्री अध्यक्ष: यह तो क्वै चन आवर में सवाल आया थ, उस समय पूछना चाहिए था।

श्री देवेंद्र भार्मा: तो आप जीरो आवर में क्या करेंगे?

Mr. Speaker: You must give me something in writing. (विघ्न एवं भाोर)

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, हम आयुर्वैदिक ि ाक्षा को बढ़ाना चाहते है परन्तु सरकार कुरूक्षेत्र के आयुर्वैदिक कालेज को बंद करन जा रही है

श्री अध्यक्ष: आप इस संबंध में रैजोल्यू न लायें और हाउस में जब मो ान मूव होगा, तब आप बात कर सकते है। I would request you now to please take your seat.

श्री देवेंद्र भार्मा: यह एक इम्पोर्टैंट मसला है.....

.

Mr. Speaker: You kindly come and see me in my chamber.

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र से जो आयुर्वैदिक कालेज हटाया गया है, उसके बारे में मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं.....

Mr. Speaker: There is no provision for taking up the point on Kurukshetra Ayurvedic College.

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, यह बड़ा इम्पोर्टैंट मामला है, हमें कुछ कहने का मौका तो दीजिए?

Mr. Speaker: I give you two minutes to state your point.

श्री देवेंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, सी0एम साहब थोड़े दिन पहले कुरूक्षेत्र गए थे उस वक्त उनसे रिकवैस्ट की थी कि आयुर्वैदिक कालेज को यहीं पर रखा जाए और जो–जो फैसिलिटीज दूसरे मैडिकल कालेजिज को दी जाती है, वे इसको भी दी जाएं। लेकिन सरकार वे फैसिलिटीज प्रोवाईड नहीं कर रही। (व्यवधान) जब मिनिस्टर साहिबा सवाल का जवाब दे रही थी तो डा0 मंगल सैन जी ने बीच में दखल दिया था और जवाब नहीं देने दे रहे थे। ये खामखाह बीच में दखलअंदाजी करते रहते है... .....

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं इस पर आब्जैक्ट करता हूं। He should not be given a licence to speak.

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर देवेंद्र भार्मा, आप बैठिए। जो भी मैम्बर कोई प्वायंट रेज करना चाहता है, मैं उसको फुल अपौरचुनिटी देता हूं लेकिन बीच में इधर उधर की बातें नहीं लानी चाहिएं। आपका प्वायंट यह है कि गवर्नमैंट आयुर्वैदिक कालेज, कुरूक्षेत्र को बंद करने के बारे में फिर विचार कर लें। There is no point involving other Ministers in it. You can make your point and we can request the Government to consider it. (Interruptions) There is no point involving other Ministers and making false allegations against them. I would request the hon. Members to be more careful in the words/language they use.

श्री देवेंद्र भार्माः आप मुझे दो मिनट बोलने दें।.....

.....

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। Nothing will be recorded.

आवाजें: .....

.....

श्री कंवल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। कल हाउस के आग्रह पर मुख्य मंत्री महोद ने अपनी कोठी में वापिस जाना स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद हमने प्रोपेगंडा सुना है कि यह सारे मिनिस्टर्ज पर भी लागू है (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। अगर आपके पास कोई डैफिनिट सूचना है तो आप कहिए। प्रोपेगंडा के बेसिज पर आप जो बात कर रहे है, यह प्रौपर नहीं है।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, सैक्टर 7 में वजीरों की कोठियां है हमारे वजीर उनमें जा सकते है.....
.....

श्री अध्यक्षः अगर आपके पास कोई डैफिनिट सूचना है तो बात करें। I will not accept any point of order based on propaganda. Please take your seat.

ध्यानाकर्शण सूचना–

हरियाणा राज्य के दुधारू प Jुओं के निर्यात संबंधी

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, हमारे जींद एरिया में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। लोग नाजायज तरीके से गउओं को ले जाते है..

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था लेकिन उसके बारे में मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली कि उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः आप अपने काल अटैं ान मो ान की फेट जानना चाहते है, वह मैं आपको बता देता हूं, कृपया आप बैठिए।

मैम्बर साहेबान, मुझे श्री मांगे राम गुप्ता का काल अटैं ान मो ान मिला था जिसका विशय था कि हरियाणा से गउओं की जो एक्सपोर्ट होती है, वह बंद की जाए। मैंने इसको डिस–अलाउ कर दिया है क्योंकि यह काल अटैं ान मो ान का विशय नहीं बनता। हरियाणा से जो गउएं एक्सपोर्ट होती है, उसकी एक्सपोर्ट कल या परसों तक भाुरू नहीं हुई तकरीबन 20–25 साल से जारी है। काल अटैं ान मो ान एडमिट करने का क्राईटेरिया यह है कि मैटर अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टैंस का और रीसेंट अकरैंस का होना चाहिए। गउओं की एक्सपोर्ट का मामला रीसेंट अकरैंस नहीं है बल्कि कंटीन्युइंग नेचर का मामला है जो काल अटैं ान मो ान का विशय नहीं बनता। इसलिए मैंने इसको डिसअलाउ किया है। (व्यवधान एवं भाोर)

वक्तव्य–

(ए) मुख्य मंत्री द्वारा– (i) हरियाणा राज्य से दुधारू प ाुओं के निर्या संबंधी

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, यह एक ऐसा सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया ध्यान दीजिए। मुख्य मंत्री साहब कुछ कहना चाहते है, इनको सुन लीजिए। (व्यवधान)

चौधरी देवी लालः ठीक है, काल अटैं ान मो ान डिसअलाऊ किया है, लेकिन मैं आपकी इंफर्मे ान के लिए कह देता हूं कि 24–25 तारीख को मैं बम्बई गया था और सर्वोदय नेता दादा धर्माधिकरी से मैंने इस बात का जिक्र किया था। उसके बाद मैंने आफिसर्ज से सलाह की। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कांस्टीच्यु ानली हम गउओं की एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन हमने टैक्सिज बढ़ाने का फैसला किया है ताकि हरियाणा की गउएं कलकता न जा सकें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, यह जो अर्जेंट पब्लिक इम्पौर्टेंस और कन्टीन्युइंग नेचर की बात.....

Mr. Speaker: Has it anything to do with the export of cows?

Shrimati Sushma Swaraj: Nothing.

Mr. Speaker: Then what do you want to say?

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, आपने रूलिंग दी है कि कंटीन्युइंग नेचर का मामला रीसेंट अकरैंस का नहीं होता। इस पर मैं डिफर करती हूं और मेरा टैक्नीकल डिफैंस हैं। काज आफ एक ान लीगल टर्म्ज में रीसैंट अकरैंस का मामला बनता है क्योंकि 'काज आफ एक ान' अब भी चल रहा है। That is more than 'recent occurance'.

Mr. Speaker: Please sit down. I will not admit any point of order against my ruling.

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रही। यह मामला तो अब भी चल रहा है, डेली गउओं को बाहर भेजा जा रहा है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat. You can discuss it in my chamber.

चौधरी ि ाव राम वर्माः .....

.....

श्री अध्यक्षः कुरूक्षेत्र कालेज का मामला क्लोज हो चुका है। श्री देवेंद्र भार्मा ने रिक्वैस्ट की है वह गवर्नमैंट के नोटिस में आ गई है।

श्री देवेंद्र भार्माः .....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded about Kurukshetra Ayurvedic College.

आवाजेंः.....

....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मुख्य मंत्री तथा हैल्थ मिनिस्टर यहां बैठे है, वे इस संबंध में कोई कमिटमैंट दे सकते है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Government is in no position to give any commitment at her moment. (Interruptions)

मैम्बर साहेबान, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आपको गवर्नमैंट की वर्किंग को समझना चाहिए। एक प्वायंट आप रेज करते है और उसका फैसला फौरन चाहते है, यह कैसे हो सकता है? आपका प्वायंट आ चुका है, गवर्नमैंट इसको कंसिडर करेगी।

(ii) **गवर्नमैंट आयुर्वैदिक कालेज, कुरूक्षेत्र को ि ाफ्ट करने संबंधी**

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, एक ऐसा सवाल यहां उठाया गया जिसका अगर मुझे ठीक समय पर नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता लेकिन फिर भी जितनी मुझे वाकफियत है उससे मैं यह बता दूं कि इस कालेज को वहां चलाने के लिए मैंने पूरी कोि ा ा की परन्तु जिस तरीकें से वहां पैसा बरवाद किया जा रहा था उसको देखते हुए मैं उसे जारी रखने नहीं देना चाहता। यह पैसा, स्पीकर साहब, गर्लज कालेज खानपुर और अस्थलबोहर कालेज, को अच्छी तरह से चलानें के लिए खर्च किया जाएगा। हमारे पास कितने रिसोर्सिज है, किस तरीके से यह कालेज चलाया गया, यह सारी रिपोर्ट आपके सामने किसी मौके पर पे ा कर दी जाएगी।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः जब लीडर आफ दि हाउस ने स्टैटमैंट दे दिया तो इस पर कुछ बोलने की गुंजाइ ा नहीं रहती।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है.....

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आप थोड़ी पे ैंस रखना सीखिए। (ाोर) आप बैठ जाइए।

स्वामी आदित्यवे ाः मैं बहुत पहले से खड़ा हो रहा हूं।

श्री अध्यक्षः यह तो मैंने देखा है कि कौन कब खड़ा हो रहा है।

वाक आउट

श्री देवेंद्र भार्माः स्पीकर साहब, हमें कोई मैडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है। हमारे पांच जिलों में कोई कालेज नहीं है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः कुरूक्षेत्र के बारे में मैं काफी कह चुका हूं। मुख्य मंत्री जी भी इसके बारे में काफी कह चुके है। इसलिए इस संबंध में ज्यादा बात करना भाोभा नहीं देता।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः अगर यह बात है तो हम कुरूक्षेत्र जिले के सभी सदस्य एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते है। (ाोर)

(इस समय चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, चौधरी ई वर सिंह, श्री लहरी सिंह मेहरा, श्री रघुनाथ गोयल और श्री देवेंद्र भार्मा सदन से वाक आउट कर गए)

सदस्य को निकालना

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब, मेरी प्रिवलेज मो ान का क्या हुआ? मैंने आपके चैम्बर में भी उसके बारे में आपसे रिक्वैस्ट की थी।

श्री अध्यक्ष: आपकी प्रिवलेज मो ान डिसअलाउ हो गई है। उस रूलिंग के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते।

स्वामी आदित्यवे ा: किस नियम के तहत डिसअलाउ हुई है?

श्री अध्यक्ष: वह आप मेरे चैम्बर में आकर पूछ लेना।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, ये जो दो तीन एम0एल0एज0 बाहर के बन कर आ गए है ये हाउस को बहुत डिसटर्ब करते रहते है और अन्य किसी मैम्बर को बोलने नहीं देते। यही नहीं ये आपकी रूलिंग को भी नहीं मानते। इसलिए इन बाहर वाल एम0एल0एज0 को हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय.....

.....

Mr. Speaker: Swamin ji, please take your seat. Otherwise, I will have to name you.

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए।

Mr. Speaker: I name Swami Adityavesh. He may please withdraw from the House.

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Swami ji, please withdraw from the House.

(Swami Adityavesh did not leave the House)

Mr. Speaker: Alright, remove Swamin Adityavesh from the House.

(At this stage the Sergeant-at-arms went to the seat of the hon. Member, Swami Adityavesh and requested him to leave the House as ordered by the Speaker. Swami Adityavesh then left the House)

वक्तव्य (पुनराम्भ)

(बी) सिंचाई मंत्री द्वारा लघु सिंचाई नलकूप निगम से लाभ प्राप्त करने वालों के लिए राहत उपायों घोशणा संबंधी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, इसी सदन में चौधरी हरस्वरूप बूरा जी ने एम0आई0टी0सी0 के बारे में एक काल अटैं ान मूव की थी जो बाद में उन्होंने विदड्रा कर ली। स्पीकर साहब, इस वक्त सारे हरियाणा में जो एम0आई0टी0सी0 का काम चल रहा है वह खाल पक्के करने का है। स्पीकर साहब, सारे हरियाणा प्रदे ा से ि ाकायत आ रही थी कि उनसे जो खाल पक्का करने के पैसे वसूल किए जाते है वे बहुत ज्यादा है। सरकार काफी दिनों से यह विचार कर रही थी कि इस मामलें को पूरे गौर से देखा जाए और यह विचार किया जाए कि क्या कोई ऐसी वजूहात हो सकती है जिनसे किसानों के ऊपर जो खर्च बढ़ रहा है उसको यक कम कर सकें। सरकार इस समय सात से नौ साल तक हर 6 महीने की कि त के हिसाब से 14 या 18 कि तों में 35 रूपये से लेकर 45 रूपये तक फी एकड़ के हिसाब से खाल पक्का करने का खर्च वसूल करती रही है। खाल पक्का करने से बीस फीसदी आबपा ाी बढ़ जाती है। इससे किसानों को फायदा तो होता है लेकिन कई किसान बहुत महसूस कर रहे है कि खर्चा ज्यादा है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे किसानों को यह खर्च कुछ कम देना पड़े। सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है:—

1. एम0 आई0 टी0 सी0 सूद की भारह उतनी चार्ज करेगी जो ए0 आर0 डी0 सी0 इनसे करेगी। इस भाहर में कमी करने का सरकार ने फैसला किया है।

2. खालों को पक्का करने से जो आबपा ी के कारण आमदनी बढ़ेगी इसकी एवज में गवर्नमैंट खालों की लागत वसूली जो किसानों से करती है इसमें कमी करेगी।

3. एम0 आई0 टी0 सी0 का ओवरहैड खर्चा जो इस वक्त साढ़े सताईस फीसदी लिया जाता है उसको कम किया जाएगा।

4. वसूली नौ साल की बजाय 12 साल में करने का फैसला किया जा रहा है यानी गवर्नमैंट कर्जा जमींदारों से बारह सालों में वसूल करेगी और ए0आर0डी0सी0 को नौ सालों में वापिस करेगी।

स्पीकर साहब, इस तरह से जो टोटल रिलीफ सरकार अनाउंस करना चाहती है वह तीस प्रति ात है। (प्र ांसा)

स्पीकर साहब, इसके अलावा इस किस्म की भी ि ाकायतें थी कि मैटीरियल ठीक नहीं लग रहा है। सीमेंट की भी कुछ ि ाकायत आयी थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि मैटीरियल के लिए एक टैक्निकल सैल मुकर्रर किया जाएगा जिसका काम मैटीरियल को तसल्लीबख्भा हालत में रखना होगा।

सीमेंट जो वहां इस्तेमाल किया जाएगा उस पर एक स्पै ाल नि ाान लगाया जाएगा ताकि इसकी चोरी बंद हो सके। (प्र ांसा)

(सी)—कृशि मंत्री द्वारा गवर्नमैंट मैडिकल कालेज, रोहतक में अभिकथित इररैगुलैरिटीज संबंधी।

कृशि मंत्री(बिग्रेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, मेरे साथी चौधरी कंवल सिंह जी ने परसों सदन में मैडिकल कालेज के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं उससे भाायद जनता में और प्रैस में कुछ गलतफहमी हो जाएगी। इसका हमारी पार्टी पर और हमारी सरकार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पब्लिक इंट्रैस्ट में मैं कुछ बातों की सफाई इस सदन में देना चाहता हूं।

स्पीकर साहब, पहले तो उन्होंने यह बात कही कि मैडिकल कालेज में छापा मारा गया और वहां से कुछ सीरा मिला। उन्होने यह भी कहा कि वह आउट आफ डेट था यानी उसकी प्रयोग करने डेट ऐक्सपायर हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहा कि डी0सी0 साहब चूंकि रैड क्रास के चेयरमैन है इसलिए उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से बातचीत करके उस केस को ड्रोप कर दिया। यह बात सच नहीं है। ठीक है रेड हुआ, छापा मरा गया लेकिन वह छापा खुद डी0सी0 ने लगवाया था। उसने अपने जी0ए0 और डी0एस0पी0 को यह कहकर भेजा था कि जाकर चैक करो कि वहां पर क्या गोलमाल है। वहां पर हमने 3300 मिलीलीटर दवाई

ली थी। उसमें से 420 मिलीलीटर दवाई ऐसी थी जो ऐक्सपायर होने वाली थी, अभी तक हुई नहीं थी। हस्पताल में जो अथौरटीज है उन्होंने इसे अपनी लैबोरेटरीज में टैस्ट कराया था कि आया यह और चल सकती है या नहीं। लैबोरेटरीज वालों ने कहा कि यह ठीक है और महीना दो महीने और चल सकती है। फिर दिल्ली से एक टीम लाई गई, उससे भी जांच पड़ताल कराई गई और उसने भी यह रिपोर्ट दो। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा अपने साथियों को यह भी बताना चाहता हूं कि यहीं पर ही नहीं, इसी मैडिकल कालेज में ही नहीं बल्कि यह चीज हर कालेज में होती है न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि सारी दुनिया भर में होती है।

बैलेंस में दवाई का एक हिस्सा या दो हिस्सा बच भी जाता है। इसका मुझे भी तुजर्बा है कि डेट ऐक्सपायर हो चुकी हो और उसमें भाक्ति हो तो दो चार महीने ज्यादा भी चल सकती है। यह ठीक है कि पोटेनि ालिटी कम हो जाती है, उससे री–एक ान भी हो सकता है। डाक्टर खुद लैबोरेटरी में टैस्ट करते है अगर वह ठीक हो तो उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते है। यह कोई खास बात नहीं थी।

दूसरे उन्होंने एक ान के बारे में कहा है। एक ान हम ले चुके है। हमने पुलिस में रिपोर्ट भेजी है। पुलिस ने कलियर कर दिया कि इसमें कोई मामला नहीं है।

फिर उन्होंने कहा कि हस्पताल पर छापा मारा तो हजारों रूपए की कई चीजें मिली। उन्होंने कहा कि 30 बैड– ाटिस मिली है। इस बारे में भी मैं क्लैरिफिके ान देना चाहता हूं। मेरे को दिसम्बर के महीने में खबर मिली थी कि कुछ गोलमाल है। कई दफा जितना इन्डैंट होता है उससे कम भेज देते है और बाकी अपने पास रख लेते हैं। फिर उसको बाद में कहीं न कहीं दुकानदार को बेच देते है। मैंने मैनेजिग कमेटी के सुपरिनटैंडैंट को बुलाया कि इसको बंद करने का कोई न कोई तरीका निकाला जायें ताकि नुक्सान न हो। मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी बेरी के डीघल गांव के प्राइमरी हैल्थ सैंटर की खबर मिली थी। हमने एक इंटेलीजेंस ब्यूरो बनाया, जिसमें 10–12 आदमी है। बीस रोज बाद छापा मारा। उसके अन्दर एक हजार की ही नहीं, आठ हजार की दवाई पकड़ी। दूसरे छापे में दो हजार की दवाईयां मिली तथा तीसरे छापे में गाज, काटन वगैरह का एक हजार 500 रूपये का समान मिला। इस बारे में पिछले दिनों हमारी गवर्निंग बाडी की मीटिंग हुई उसके फैसले पर वाहं के कर्मचारी नौकरी से बरखास्त हो गए थे लेकिन हमारे डायरैक्टर, प्रिंसिपल और एस0एस0पी0 साहब गौर कर रहे है कि आया इनको कोर्ट में ले जाये या नहीं। इस बात की तो हमें भााबा ाी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एग्रों इंडस्ट्रीज के बारे में कहा। उसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। इसके अलावा उन्हौने एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में कहा। उसके बारे में सब कुद बताया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने मैडिकोज

की स्ट्राइक का भी जिक्र किया कि उनको तो सब कुछ दे दिया है जिन्होंने हड़ताल की थी लेकिन जिन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टाईम में मदद की है और मरीजों की सेवायें की है उनके लिए कुछ नहीं किया है। हमने आज से दो महीने पहले फैसला ले लिया था कि इन इन को एवार्ड दिया जायेगा लेकिन मुश्किल उस समय आ गई जब एक लिस्ट तो वाइस चांसलर की आ गई और एक हैड आफ दि डिपार्टमैंट की तरफ से आ गई। आप जानते है कि एवार्ड तो काम के मुताबिक दिया जात है। इसलिए हमें दूसरी सब– कमेटी बनानी पड़ी और फैसला किया कि हरेक केस की मैरिट में जाए और जिसने फालतू काम किया है उसको इंक्रीमैंट दें। यह फैसला गवर्निंग बाडी में यूनानीमस हुआ है। पहले कुछ और मामला था, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता एक राय से फैसला किया है कि जिन मैडिकोज ने अच्छा काम किया है उन्हें काम के मुताबिक इनाम दिया जायेगा। आखिरी चीज जो उन्होंने मैं ान की है वह डाक्टर हजारी लाल के बारे में कही। 12 मार्च, को बैठक हुई थी, उस टाईम पर एजेंडा में 74 आईटम्ज थी। 10 बजे तक बैठक भ्रुरू हुई थी और साढ़े छः बजे तक बैठक चलती रही। तकरीबन 60 आईटम्ज तो खत्म हो गये लेकिन 10–12 आईटम्ज बकाया रहे थे जिनमें हजारी लाल जी का भी नाम था। लेकिन समय की कमी होने के कारण से उस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया जा सका। मेरा ख्याल है कि अगली बार इस बारे में विचार किया जा सकेगा और उनको मौका दिया जायेगा।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने जो स्टेटमैंट दी है, उस पर मैं ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूं।

Mr. Speaker: There can be no discussion on a statement made by a Minister.

Shri Shamsher Singh: I do not want to discuss the statement. स्पीकर साहब, इन्होंने एग्रों इंडस्ट्री का जिक किया। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः मैं आपके सामने रूल 64 पढ़ देता हूं। ट्रांसले ान करना तो मुि कल है लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलै ान करने की कोि ा ा करूंगा। उसमें यह लिखा हैः

'64. A statement may be made by a Minister on a matter of publice importance with the permission of the Speaker but not questions shall be asked nor discussion take place thereon at the time the statement is made.'

यानी कोई मंत्री स्पीकर की इजाजत से पब्लिक इम्पौर्टेंस के मामले पर स्टेटमैंट दे सकता है लेकिन स्टेटमैंट देने के बाद उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जायेगा और न ही उस पर बहस की जायेगी।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने जो दवाइयों के बारे में स्टेटमैंट दी है, (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: I will not allow any discussion. Please take your seat.

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों को रिलीफ देने के बारे में अनाउन्समैंट की है लेकिन यह रिलीफ कब से लागू होगी, यह उन्होंने नहीं बताया है। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः अब इस पर कोई डिस्क ान नहीं होगी। मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह कब से लागू होगी?

Mr. Speaker: I am sorry, I will not allow any discussion on the statement made by the Minister. Please take your seat.

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, मैंने एक प्राइवेट मैम्बर्ज रैजोल्यू ान दिया था लेकिन वह आज तक हाउस में नहीं आया है (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः वह बैलट में नहीं आया होगा। उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। जो प्राइवेट मैम्बर्ज रैजोल्यू ान बैल्ट में आ गये, वे एजेंडे पर आ गये है। चार प्रस्ताव बैलट में आये थे, जो लिस्ट आफ बिजनैस पर आ गये है।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। कल हमारे साथी ने कुछ बातें कहीं। उसके जवाब में मिनिस्टर महोदय ने कहा कि मैम्बर साहब ने मिस–लीडिंग

स्टेटमैंट दी है। इस बात को कलियर किया जाये कि कौन सी बात सच है आया मिनिस्टर की बात ठीक है या मैम्बर की ठीक है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर के स्टेटमैंट देने के बाद कोई बात डिस्कस नहीं हो सकती अगर आप कोई प्वायंट रेज करना चाहते है तो मुझे लिखित में दें।

(डी) वित मंत्री द्वारा हरियाणा से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर बिकी कर की चोरी रोकने संबंधी विधेयक को वर्तमान सै ान में पे ा न करने संबंधी।

वित मंत्री(श्री मूल चंद जैन): स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव को पे ा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने बजट स्पीच में भी यकीन दिलाया था और उसके बाद हाउस में भी यकीन दिलाया था कि हरियाणा से बाहर जाने वाली चीजें, जैसे सोनीपत से या बहादुगढ़ से दिल्ली को या अन्य जगह जाती है उनके टैक्स इवेजन के बारे में इसी सै ान में बिल लाया जायेगा। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि उसके बारे में हमें लीगल एडवाइस मिली है कि बिना राश्ट्रपति की मंजूरी के वह बिल हाउस में नहीं आ सकता। इस कारण से हम इस बिल को इस सै ान में पे ा नहीं कर सके है। हमने राश्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसे भेज दिया है। आज हाउस एडजर्न होने जा रहा है लेकिन

ज्यों ही राश्ट्रपति की मंजूरी उस बिल के बारे में आ जायेगी हम आर्डिनेंस के जरिए से उसको लागू कर देंगें।

श्री भाम ोर सिंहः आर्डिनेंस के जरिए लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा करने तो बिल्कुल गलत बात होगी।

श्री अध्यक्षः This is a prorogative of Government. आर्डिनैंस के जरिए जारी कर सकती है। वह भी कानून के तहत लागू हो सकता है।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने यहां पर यह वि वास दिलाया था कि इसी सै ान में वह बिल लायेंगे लेकिन अब ये मुकर्रर रहे है।

(11.00 बजे)

श्री अध्यक्षः उसी के बारे में तो इन्होंने यहां बताया कि उसमें राश्ट्रपति जी की मंजूरी लेना जरूरी है इसलिये वह नहीं हो सका।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now I will request Shri Mool Chand Jaim, Minister for Parliament affairs, to move the motion under Rule 15.

वित मंत्री(श्री मूल चंद जैन): अध्यक्ष महदेय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि आज के लिए निर्धारित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिर्धारित काल तक नियम ''सभा की बैठकों'' के उप–बंधों से मुक्त किया जायें।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि आज के लिए निर्धारित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिर्धारित काल तक नियम ''सभा की बैठकों'' के उप–बंधों से मुक्त किया जायें।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, आज के एजेंडा में म्युनिसिपल बिल और प्राइवेट कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल दोनों बड़े एग्जाहस्टिव बिल है। म्युनिसिपल बिल में तो कम से कम 40 सैक्शंज इन्वाल्वड है। स्पीकर साहब, टाईम का बढ़ाना या न बढ़ाना यह तो एक अलग सवाल है लेकिन मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि चूंकि म्युनिसिपल बिल एक बहुत ही इम्पौर्टैंट बिल है, इसमैं मेजर अमैंडमैंट की जा रही है, इसलिये.....
.....

श्री अध्यक्षः यह तो जब बिल आयेगा, उस वक्त आप प्वायंट रेज करना। उस वक्त आप यह प्वायंट रेज कर सकते है। आज की सिटिंग के बारे में बिजनैस एडवाईजरी कमेटी का फैसला है, जिसके बारे में मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव पेश कर चुके है और हाउस उसे एडापट करने वाला है। जो भी फैसला हाउस करेगा, उसी के मुताबिक हाउस चलेगा। (विघ्न)

श्री भाम ोर सिंहः बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में जहां तक मुझ ख्याल है यह फैसला हुआ था कि केवल म्युनिसिपल अमैंडमैंट बिल आज के दिन डिस्कस होगा, दूसरे बिल नहीं। I am subject to correction. दूसरे बिल जो आज के एजेंडा पर है, वे बाद में आये है, इसलिए उस मीटिंग में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं था।

Mr. Speaker: I will refer you to the minutes of the Business Advisory Committee. It mentioned 'Any other business/legislative bills'

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, म्युनिसिपल बिल के बारे में बात हुई थी यह जो दूसरे बिल लाये जा रहे है, ये बाद में आये है।

Mr. Speaker: I seem to remember that Jain Sahib had mentioned about it.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, यह जो दूसरे बिल लाये जा रहे है, इनके बारे मैं उस मीटिंग में कोई जिक्र नहीं आया था।

Mr. Speaker: But it was quite clearly said that any other Government business that the Speaker might admit would also be taken up.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, टैक्से ान बिल लाया गया है, इसके ऊपर डिस्क ान के लिये पूरा मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: टैक्स के बारे में तो बोलने के आपको बहुत ज्याद मौकें मिले थे। मेरे ख्याल में पिछले दस सालों में विपक्ष के सदस्यों को इतना टाईम कभी नहीं मिला, जितना बोलने का इस बार मिला है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा था कि फरीदाबाद के कारखानेदारों पर इसी सै ान में टैक्स लगाये जायेंगे। एक अ योरन्स दिया गया था कि इसी सै ान में हम इन कारखानेदारों पर टैक्स लगायेंगे।.....
.....

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी भोर सिंह): फरीदाबाद में कारखानेदारों पर जो टैक्स लगाने की बात कर रहे है, हमने इस बारे मं बिल बना दिया है। उसके लिये प्रेजीडैंट साहब की मंजूरी की आव यकता है, (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त यह है कि जो आपने यहां पर यह बताया कि 'एनी अदर बिजनैस' भी इसमें भाामिल है। 'एनी अदर बिजनैस' और एक्ट बनाने में तो बहुत ज्यादा डिफरैंस है।

श्री अध्यक्षः आपका कहना यह है कि इसमें बिल कवर्ड नहीं है? यह ठीक नहीं है। एनी अदर बिजनैंस में बिल भी कवर हो जाते है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः वहां पर कहा गया था 'Any other legislative business'. इसका मतलब यह नहीं कि फ्रै ा बिल भी लाकर हाउस के सामने रख दिये जायें और डिस्क ान का पूरा मौका न मिले।

Mr. Speaker: 'Any other legislative business' में बिल आ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि फ्रै ा बिल नहीं आ सकता। मैं हाउस की इंफर्मे ान के लिये, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी ने जो 30 मार्च, 1979 के लिये बिजनैस डिसाईड किया था, वह पढ़ देता हूं। It is as under-

"Friday, the 30th March, 1979, at 9.30 A.M.

1. Question Hour.

2. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting.

3. Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

4. The Haryana Muncipal(Amendment)Bill, 1979.

5. Any other legislative Bills/Business.

'Any other legislative Bills/Business' makes the position rather more clear. I wil now put the motion before the House."

प्र न है–

कि आज के लिए नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनि चत काल तक नियम ''सभा की बैठकों'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

वित मंत्री(श्री मूल चंद जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चतकाल के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चत काल के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चत काल के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रिपोर्ट पे ा करना

(i) सबार्डिनेट लैजिसले ान कमेटी की दसवीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Now the Chairman of the Committee on Subordinate Legislation will present the Tenth Report of the Committee.

Chaudhri Harswarup Bura: (Chairman, Committee on Subordinate Legislation): Sir, I beg to present the Tenth Report of the Committe on Subordinate Legislation of the Haryana Vidhan Sabha for the year 1978-79.

(ii) **एस्टीमेट्स कमेटी की ग्याहरवीं रिपोर्ट**

श्री अध्यक्षः अब एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन कमेटी की ग्यारहवीं रिपोर्ट पे ा करेंगे।

चौधरी संत कंवर(चेयरमैनए एस्टीमेट्स कमेटी): मैं वर्श 1978–79 के लिए आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा के संबंध में बजट अनुमानों पर प्राक्कलन समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट की टाइप की हुई प्रति पे ा करता हूं।

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1979

श्री अध्यक्षः अब लोकल सैल्फ गवर्नमैंट मंत्री बिल पे ा करेंगे।

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): मैं दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जायें।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका सं ाोधन विधेयक पढ़ने में बहुत साधारण लगतार है परन्तु इसकी जो स्पिरिट है उसके अन्दर झांकने की आव यकता है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि सदन के माननीय सदस्य पहले बोल लें और उसके बाद मैं उत्तर दूं क्योंकि मैं समझता था कि–

कलाम से बेहतर है मेरी खामो ाी,

न जाने कितने सवालों की आबरू रूख ली।

किसी ने अपना सफीना डुबो के साहिल पर,

हजार डूबने वालों की आबरू रख ली।

डिप्टी स्पीकर साहब, 29 दिन से.....

श्री दीप चंद भाटियाः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चौधरी राम लाल जी से पूछना चाहता हूं कि यह भोरो भाायरी की जगह है या असैम्बली हाल है?

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर भोर पढ़ने की आज्ञा है। पिछलें सालों मैं यहां पर भोर पढ़े जाते रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 29 दिन से मैं इस सदन में बैठा हूं और मैं समझ रहा था कि मेरे विभाग से सदस्य इतने संतुश्ट है कि न तो उन्होंने कोई प्र न ही पूछा और न ही मेर विभाग के बारो में कोई बात की। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय यह कह रहे है कि किसी एम0एल0ए0 ने मेरे महकमें के बारे में कोई ि ाकायत नहीं की। डिप्टी स्पीकर साहब हमने तो सवाल पूछा था लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक भोर और कहना चाहता हूं–

हजारों ख्वाहि ों ऐसी कि हर ख्वाहि ा पर दम निकले

बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

डिप्टी स्पीकर साहब, वास्तव में यह बिल जो सदन में पे ा किया गया है इसके पीछे जो भावना है बिल की क्लाजिज

पर बोलने से पहले मैं उस भावना को सदन में रखना चाहता हूं। 1977 के अंदर परम आदरणीय जय प्रका ा नारायण जी के नेतृत्व में हमने प्रजातंत्र को दोबारा स्थापित करने के लिए एक व्रत लिया था। उन्होंने सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया था और मुझे सदन में यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज के आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल ने इस बिल की स्वीकृति देकर और सदन में इसे पे ा करने की आज्ञा देकर प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक मिसाल कायम की है। मुझे आ ाा है कि दे ा की दूसरी विधान सभाओं के अन्दर भी वहां की सरकारें इस प्रकार के बिल लाकर प्रजातंत्र को मजबूत करेंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, स्थानीय भाासन का मतलब क्या है? मेरे सभी साथियों ने जो सदन में बैठे हैं, बड़ी गम्भीरता से इसका अध्ययन किया है। स्थानीय भाासन के ऊपर मैं कुछ न कहते हुए इसके एक प्र ांसक ने इसके बारे में जो भाब्द कहे है, उनको सदन में पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—

"The affairs of the city are administered by specific regulations framed under the law governing the local bodies. The city like other units of the local Government is a training schools of democracy. It is generally said that the working of local government in urban and rural areas is one of our treasured inheritances. The citizens learn at local level how to attend to things and deal with them in a practical way. The Local authority is the proper institution which creates opportunities for intelligent, public spirited and civic minded people to participat in local activities and community

development programmes within the frame work of National policies. The local bodies provide for a training of the citizens in civic matters based upon economic and social planning".

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के वे भाब्द भी यहां सदन में कहना चाहूंगा जो उन्होंने लोकल सैल्फ गवर्नमैंट की पहली कांफ्रेस में कहे थे। उन्होंने उस कांफ्रेंस में कहा था—

"Local self Government is and must be the basis of any true system of democracy. The democracy may not succeed until it is built on the foundation from below."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय न लेता हुआ स्थानीय भाासन का जो दूसरा मकसद है उसके बारे में चंद भाब्दों का उल्लेख करूंगा। इसका दूसरा मकसद है—

"The constitution and working of the municipal government affect considerably the routine living and activities of the people in several ways. The local bodies provide the desired amenities for the public and also the day to day services which are essential for the convenience, better standard of living and welfare of the people living in the city. In fact it is the local body if it is well administered which directly concerns the rate payers' problem and the governments whether provincial or central come later. The intelligent, civic minded persons who are conscious of their duties and responsibilities can prove an asset for improving the work of the services and promoting social and economic development with the administration for completing its task

and meeting the liabilities with success. In order to build up sound and efficient local administration cooperation of the people is a necessity."

उपाध्यक्ष महोदय, भाहरों की बढ़ती हुई आबादी को व्यवस्थित करना, साथ ही उनकों सहूलियत प्रदान करना और नीचे से डेमोक्रेसी के लिए लोगों को प्रि ाक्षित करना यह स्थानीय भाासन का मुद्दा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय भाासन की नुक्ताचीनी की नियत से या स्थानीय भाासन में हुई गल्तियों का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 1972 के बाद इस दे ा के अन्दर इस प्रकार की मनोवृति पैदा हुई कि भाासन का हक केवल विधानसभा या पार्लियामैंट के अन्दर बैठे हुए लोगों को ही और वह भी उन लोगों को है जो उनमें से सरकार में बैठे हुए है। यह बात भी इस दे ा में कही गई कि जमहूरियत डिरेल हो गई है और हम उसको फिर रेल पर लाना चाहते है। मैं इस दे ा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने साबित कर दिया कि जनता के अन्दर डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हुई थी बल्कि जो कहते थे कि डिरेल हुई है उनको ही जनता ने उखाड़ कर डेमोक्रेसी को फिर रेल पर ला दिया। मैं उसकी व्याख्या न करते हुए हरियाणा के बारे में कहना चाहूंगा। सब से पहले तो मैं सदन के सदस्यों को आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की मनोवृति हरियाणा के अन्दर पैदा की गई। 1973 के अन्दर डेमोक्रेसी का यहां पर जनाजा निकाल कर रख दिया गया। जिला परिशद तोड़ दिये

गये, मार्किट कमेटियों तोड़ दी गई और नोटीफाईड एरिया कमेटीज में नामीने ांज की गई। आज मैं चौधरी देवी लाल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायतों के चुनाव करवायं, मार्किट कमेटियों के चुनाव करवाने जा रहे है और इसी प्रकार से नगरपालिकाओं के भी चुनाव करवाने जा रहे है। इसीलिए हमने इस बिल के अन्दर कुछ रेडिकल चेंजिज की है। 1973 के अन्दर 1911 के म्यूनिसिपल एक्ट की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई थी। दुनिया के इतिहास में कहीं भी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि चुने हुए नुमांयदे की बजाये नामिनेटिड लगा दिये जाए। इन्होंने कानून में तरमीम की कि तीन साल तो चुना हुआ नुमांयदा रहेगा और तीन साल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी लिखित रूप में दुनिया के किसी भी कोनें में नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन भी याद है जब विरोधी पक्ष के नाते मैंने इसी प्रकार से उस बिल पर खड़े होकर आक्षेप किया था। उस समय मेरी वही स्थिति थी जो आज इन साथियों की है, जो अपोजी ान में बैठे हे.....

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): ऐसी स्थिति कहां थी?

चौधरी राम लाल वधवा: चीफ मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे है, इनको तो हमने पूर छूट दे रखी है। आज मुझे खु ाी है कि जिस चीज का मुझे विरोधी पक्ष में होने के नाते आक्षेप करने का मौका मिला था उसी कमी को दूर करने के लिये आज मुझे यहां पर स्थानीय भाासन मंत्री के नाते सौभाग्या प्राप्त हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसकी हिस्टरी बताना चाहूंगा.....
.....

श्री सुरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब, चाहे जितना बोल लें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आप टाईम नोट कर लें ताकि उसी हिसाब से हमें भी बोलने का टाईम मिल सकें।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजीज सुरेंद्र सिंह जी को बताना चाहता हूं कि यह बात मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि गैर मुल्की भाासक जो इस दे ा के ऊपर राज करते थे उन्होंने भी यह महसूस किया कि लोगों का जीवन सुधारने के लिये चुने हुए नुमायंदे होने चाहिएं। उसका यह परिणाम हुआ कि सब से पहले 1842 के अन्दर बंगाल में पीपलज एक्ट लागू किया गया जिसमें केवल बंगाल प्रान्त को इस किस्म की सुविधा दी गई। उसके बाद यह आवाज और तेज हुई और 1850 में एक एक्ट बना जो बंबई और नार्दन प्रोविंसिज में लागू किया गया। उसके बाद 1873 में कलकता कार्पोरे ान एक्ट बनार जिसे 1876 में, और ज्यादा सहूलियत देने के लिये रिपील किया गया। फिर बम्बई कार्पोरे ान एक्ट बना ताकि दे ा की जनता में स्थानीय भाासन के प्रति जागृति आए। उसके बाद 1911 में आल इंडिया लैवल पर एक एक्ट की बुनियाद रखी गई। हम समझते थे कि उस में बहुत कमियां थी लेकिन 1973 में तो कमाल हो गया। अंग्रेजों ने 1911 कै एक्ट के तहत जो सहूलियत या डैमोकेटिक राइट्स दिये थे वे आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर लोगों की वोट से

बनी हुई सरकार द्वारा छीन लिये गये। एक्ट में सं ाोधन करके चुनाव का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर ज्यादा न जाते हुए चंद भाब्दों में इस बिल की वि ोशतायें बताऊंगा.....

श्री सुरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आज तो इनके सैक्रेटरी ने इनको खूब तैयार करके भेजा लगता है। (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी पूरी तैयारी के साथ ही बोला करता था। चौधरी सुरेंद्र सिंह उस समय नहीं थे, इनके पिता जी हुआ करते थे। ये अपने पिता जी से इस बारे में पूछ लें कि मैं कितनी तैयारी के साथ बोला करता था।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आप बिल को देखें कि इसके साथ जो एक्सट्रैक्टस है ये बिल्कुल डिफैक्टिव है। इसलिये इस पर डिस्क ान नहीं चल सकती।

श्री उपाध्यक्षः आप इनको बोलने दीजिए।

श्री भाम ोर सिंहः मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इसके एक्सट्रैक्टस डिफैक्टिव हैं इसलिये बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस प्वांयट पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि आगे प्रोसीड किया जा सकता है या नहीं। आप इस बिल पर मुलाहिजा करें। इसमें सैक ान 23 जो पेज 5 पर है उसमें लिखा है कि

"After section 100 of the principal Act, the following section shall be inserted,.....'After section 100, section 100A is proposed to be inserted. अब, आप मुलाहिजा करें कि पीछे जो एक्सट्रैक्टस दिये है उनमें सैक ान 100 का कहीं भी जिक नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बिलों पर तब तक डिसक ान नहीं होती जब तक साथ एक्सट्रैक्टस न हो। इसलिये मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि इसको डैफर किया जाए।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: I can explain it.....

Shri Surrneder Singh: The Minister cannot reply. He is simply the mover of the Bill. The ruling is to come from the Chair.

Development Minister(Thakur Bir Singh): he can explain and clear the point.

Mr. Deputy Speaker: He wants to make the point clear. He may do so.

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्वांयट रेज किया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैक ान 100 का एक्सट्रैक्ट देने की आव यकता तब होती अगर हम सैक ान 100 में कोई तबदीली करते। यह तो बताने के लिये है कि सैक ान 100 के बाद हम सैक ान 100–ए इनक्लूड कर रहे है।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब.....

श्री उपाध्यक्षः इन्होंने आपका प्वांयट आफ आर्डर क्लीयर कर दिया है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनकी यही एक्सप्लेने ान है तो सैक ान 258 से 263 के एक्सट्रैक्स भी अनैक ाचर से ओमिट होने चाहियें थे because they are ommitting these sections from the Act. But this has not been done and these extracts are given in the Annexure. Similarly section 100 should also have been given in the Annexure and supplied to the members.

श्री उपाध्यक्षः मिनिस्टर साहब ने क्लीयर कर दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है इसलिये मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच जारी रखें।

चौधरी रामलाल वधवाः जो सैक ान हम बदल नहीं रहे है ये वह बतला रहे है। हम तो उस सैक्सन को एक्सटैंड कर रहे है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चंद अहम क्लाजिज के बारे में पांच मिनट में कह कर अपना स्थान लूंगा। इस बिल के जरिए जो तमाम नोटिफाइड एरिया कमेटीज है उनको म्युनिसिपल कमेटीज का नाम दिया जा रहा है और जो पहले नामीने ान होती थी उसको खत्म करके अब इनके चुनाव कर रहे है। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब, हम जो कमेटियां बनाने जा रहे है उनका कोई ला होगा। पिछली सरकार के समय एक भाख्स था जिसकसे कहने से किसी कमेटी को तो रखा जाता था और किसी को

जिसको वह चाहे तोड़ा जाता था। जहां कोई कमेटी टूट गई वहां अलग ही कानून बन जाता था। अब जहां 50 हजार से ज्यादा की आबादी है वहां 'ए' क्लास कमेटी होगी, जहां 20 और 30 हजार के बीच आबादी होगी वहां 'बी' क्लास कमेटी होगी और जहां बीस हजार तक की आबादी होगी वहां 'सी' क्लास कमेटी होगी। अब नोटीफाईड एरिया कमेटीज नहीं रहेगी। अब सभी कमेटियों के चुनाव करवाये जायेंगे।

श्री भाम ोर सिंहः प्वायंट आफ आर्डर सर। आप सैक ान 100 का मुलाहिजा फर्माएंऋ

'100A. " Revision.-Any person aggrieved by an order passed in appeal under section 99 may, within thirty days fo the communication to him of such order, make an application in writing to the State Government for revision....."

उपाध्यक्ष महोदय, जिसके आर्डर के अगेंस्ट अपील की.... .....।

चौधरी राम लाल वधवाः सैक ान 99 में अपील नहीं है.. .....

श्री उपाध्यक्षः इसका एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। That is immaterial.

श्री भाम ोर सिंहः जब हम उस आर्डर के खिलाफ अपील करेंगे तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा?

चौधरी राम लाल वधवाः म्यूनिसिपल कमेटी को सस्पैंड रखने की हमने मियाद निि चत कर दी है। पहले इसकी कोई मियाद नहीं थी, कोई कायदा नहीं था कि कब तक सस्पैंड रखेंगे। हमने इस बात का भी प्रोवीजन कर दिया है कि चुनाव अवधि खत्म होने पर या सुपरसै ान होने पर छः महीने के बाद नये चुनाव अव य होंगे। उसके बाद विधान सीाा चुनाव की तरह चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे। हमने इन कमेटियों को विधान सभा के बराबर दर्जा दे दिया हैं। इससे पहले ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं था। मुझे भी 14 साल का अनुभव है। मैं नगर पालिका का सदस्य रहा हूं, अध्यक्ष रहा हूं, एग्जैक्टिव अफसर के तौर पर भी मैंने काम किया है। जो मेरी जिन्दगी में बीती है, वह आपकों बताना चाहता हूं। अगर किसी को मैम्बर, प्रेजीडैंट, वाईस प्रैजीडेंट न रखना हो तो 21 दिन का नोटिस देकर उसको मैम्बरि ाप से, वाईस प्रेजीडेंटि ाप से, प्रैजीडैंटि ाप से हटा दिया जाता था। किन्तु इस बिल में प्रोवीजन किया गया ळे कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा जो इन्क्वायरी करेगा। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही होगी। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हम ने यह फैसला भी किया है कि राजनैतिक आधार पर किसी नगरपालिका को भंग नहीं किया जाएगा बल्कि जब तक कमेटी को सुपरसीउ नहीं किया जायेगा। इसके अलावा हमने ज्यादा लम्बे अरसे तक ये कमेटीज ससपैंड न रखने का भी प्रोवीजन किया है ताकि ये अच्छे काम कर सकें और जो योजनाएं बनायी है उनको पूरा कर सकें। इन नगरपालिकाओं की मियाद

तीन साल की कर दी है। नगरपालिका को इसमें पूरा अख्तियार दिया है। अगर कहीं आग लग जाये या एक्सीडेंट हो जाये तो यह फौरन फायर बिग्रेड को भेज सकती है और उस पर अपना खर्च कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक्ट के तहत अगर कहीं दुर्घटना हो जाती थी तो इन नगरपालिकाओं को डिप्टी कमी नर से इजाजत लेनी पड़ती थी। जब डिप्टी कमि ानर मंजूरी दे देता था तभी ये खर्च कर सकती थी। अब ये खुद खर्च कर सकती है और आगे आने वाली कमेटी की मीटिंग में उस खर्च की मंजूरी ले सकती है। इसके अलावा जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि हम बड़े बड़े भाहरों में कार्पोरे ान्ज भी बनाने जा रहे है। जैसे रोहतक, फरीदाबाद, अम्बाला और अम्बाला कैंट को मिला कर यमुनानगर और जगाधरी को मिलाकर कार्पोरे ान बनाने का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा जिस कमेटी की इन्कम एक लाख की हो जायेगी वहां सारे हरियाणा में कार्पोरे ांज बना दी जायेगी। म्यूनिसिपल कमेटियों को ग्रांट भी दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब ये (अपोजी ान वाले) इसलिये नुक्ताचीनी कर रहे है कि तीस साल तक म्यूनिसिपल कमेटियों के एडमिनिस्ट्रे ान में जो होता आया है उसे हम बंद कर रहे है। हमें तीस साल बाद दिवालिया हुई सरकार मिली है। इसमें जो गंदगी है पहले हमें यह दूर करनी हैं। इसके सभी रिसोर्सिज खत्म हो चुके थे। अब हम आव यकताओं को देखते हुए पांच साल बाद म्यूनिसिपल कमेटी की ग्रांट रिव्यू करेंगे ताकि कमेटी

प्रगति कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बातों को मैं माननीय सदस्यों के बोलने के बाद उत्तर दूंगा।

श्री भाम ोर सिंह(नरवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल के बारे में कुद बातें कहना चाहूंगा। हमें इस बात का यकीन था कि मंत्री महोदय बजाये इस बिल को पोलीटिकलाईज करने के, पोलीटिकल भाशण झाड़ने के इस बिल के मुद्दे रखेंगे ताकि मैम्बर्ज आफ दि हाउस को सारी बातें अवगत हो सकें। लेनिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ..... को कई बार रिपीट करने से वे समझते है भाायद हरियाणा के भोले भाले लोग उनकी बात को ठीक मान लेंगे? इन्होंने..... तरीका अख्तियार किया है.....

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि गवर्नमैंट ने.....बोला है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान) क्या यह भाब्द अनपार्लियामैंटरी नहीं है? मेरी साथी को कहा जाए कि इसको विदड्रा करे। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ये बार बार कहते है कि म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव, कार्पोरे ान्ज के चुनाव भाूगर मिलों में चुनाव करवाने जा रहे है और यह बात सुनते सुनते हरियाणा के लोगों

के कान पक गये है। मंत्रियों द्वारा यह.....बार–बार रिपिट होता रहा कि चुनाव करवा रहे है लेकिन हर बार पोस्टपोन करते रहे। पता नहीं.....कहते हुए इनको .....क्यों नहीं आती, तीन बार चुनाव पोस्टपोन हो चुके है.....

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब,..... भाब्द अनपार्लियामैंटरी है, इसको एक्सपंज किया जाए।

डा0 मंगल सैनः मेरे साथी बे ाक कड़वी आलोचना करें लेकिन यह कहना कि.....है इनको....., ये भाब्द अच्छे टेस्ट में नहीं है। इनकों या तो एक्सपंज किया जाए या इन्हे कहैं कि वापिस लें। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे सुनते–सुनते.....आने लगी है और तीन बार इलैक ान पोस्टपोन कर चुके है (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, ये बार–बार मुझे इंट्रप्ट कर रहे है और मेरा टाईम जाया कर रहे है।

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर सहाब, जो भाब्द मेरे दोस्त ने अपने भाशण में इस्तेमाल किये है.....और.....ये भाब्द अच्छे टेस्ट में नहीं है। पहले कई बार फैसला हो चुका है कि ऐसे भाब्द अनपार्लियामेंटरी है। आप इन भाब्दों को वापिस करवायें।

श्री उपाध्यक्षः आप इनको वापिस लें, वरना एक्सपंज कर दिये जाएंगे।

श्री भाम ोर सिंहः ..... भाब्द किस टेस्ट में अनपार्लियामेंटरी है, इस पर आप रूल्ज कंसल्ट कर लें। जिस टेस्ट में मैंने इस्तेमाल किया है उसमें अनपार्लियामेंटरी नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पिछले डेढ़–दो साल से बार बार म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव स्थगित किये गये। इसलिये स्थगित किये गये है, जैसा कि सब को अच्छी तरह सेपता है कि जनता पार्टी में एक खास घटक है जो म्यूनिसिपल कमेटियों का चुनाव लड़ना चाहता है और यह घटक जानता है कि अगर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हो गये तो उनका कोई मैम्बर किसी भी म्यूनिसिपल कमेटी में मैंबर बन कर नहीं नहीं आयेगा। यही कारण है कि ये चुनाव तीन बार स्थगित किये गये। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल में भी इन्होंने इस बात की गुंजाइ ा रखी है कि इलैक ान दो–चार महीने के अन्दर नहीं, बल्कि एक साल के अन्दर करवायेंगे। पेज 2 पर सैक ान 7 का प्रोवाइजों है, उसमें लिखा है–

"Provided that in the municipalities, specified in the Schedule to this Act, which were of first or second class immediately before the commencement of the Haryana Municipal (Amendment) Act, 1979, the election shall be held within six months of such commencement and elections in the remaining municipalities specified in the said Schedule shall be held within one year of such commencement....."

डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जब एक्ट बनेगा तो इस प्रोवीजन के मुताबिक एक साल के अंदर चुनाव करवाये जायेंगे।

पिछले दो साल से तो पहले ही अन–नसैसरी पोस्टपोन करते आये है और इसी तरह तीन साल गुजर जायेंगे, इसके बाद भी पता नहीं चुनाव होंगे या नहीं। दरअसल बात क्या है, क्यों चुनाव नहीं करवाये जा रहे। वधवा साहब ने एडमिनिस्ट्रेटरों का जिक्र किया कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, वे बे ाुमार गड़बड़ियां करते थे, पैसा खाते थे, लगातार एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर काम करते चले आ रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह बात कहना चाहता हूं कि जनता सरकार और उसके जो लोकल बाडीज के मंत्री है, उन्होंने 13 मार्च को एक गजट नोटिफिके ान अखबार में छपवाया। हरियाणा में जितनी भी नोटिफाईड एरिया कमेटीज है, उनको नोटिफिके ान जारी किया जिसमें लिखा है–

"The Governor of Haryan here by appoints notified areas committees each consisting of one person, specified in column 3 of the said schedule and nominates the persons as shown in column 4 of the said schedule against each committee and further appoints them as Presidents of the respective committees.....'

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस लिस्ट को गौर से पढ़ें तो मालूम होगर कि ये एप्वांयमैंट मैरिट के बेसिज पर, तजुर्बे के बेसिज पर नहीं की गई क्योंकि कमेटियों की हालत सुधारने की इनकी कतई मं ाा नहीं है। सारी की सारी एप्वांयटमैंटस सियासी

नुक्ता निगाह से पोलिटिकल नुक्तानिगाह से किसी एक घटक को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। इन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है और गलतफहमी पैदा कर रहे है। नोटिफाईड एरिया कमेटी के प्रैजीडेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर और ऐसा एक्ट में लिखा है। पहले एडमिनिस्ट्रेटर पाट–टाईम लग जाते थे और लगातार चले आते थे, काम भी ठीक नहीं चलता था.....

श्री भाम ोर सिंहः यह प्वांयट आफ आर्डर कैसे बना? आप बाद में जवाब दे देना। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः पहले जिसकी जो मर्जी होती थी उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगा देता था, लेकिन मैंने आर्डर किये है कि चीफ सैक्रेटरी साहब से आफिसर्ज की लिस्ट मंगवा ली जाए और उस लिस्ट के मुताबिक एप्वांयमैंट की जाए। सैक्रेरिएट से जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक हमने लगाये है, इसमें घटक की कोई बात नहीं है। इनमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्राईवेट आदमी हो।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, बात दरअसल यह नहीं है जो ये कहना चाहते है।

Mr. Deputy Speaker: They are Government servants.

श्री भाम ोर सिंहः वे हमारे भाई है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका जाति तजुर्बा बड़ा रिच है, आप भी सारी बातों को अच्छी तरह से जानते है। (व्यवधान) इसी लिस्ट में एक.....का नाम है। यह वह आदमी है जिसकों मंत्रिमंडल ने, नरवाना म्यूनिसिपल कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था। इनके खिलाफ इन्क्वायरी पैंडिंग है। इन्होंने तीन लाख रूपये की वेइंग म ाीन खरीदी थी जिसमें घपला किया था और म ाीन को गलत जगह पर लगा कर कमेटी को पचास हजार रूपये का नुक्सान किया था। इनके खिलाफ इन्क्वायरी पैंडिंग है और मेरी ि ाकायत पर इनकी ट्रांसफर हुई है। यह पोलिटिकल आदमी है, पोलिटकल बिनाह पर ही इसको गन्नौर की एन0ए0सी0 का प्रधान बना दिया। यह इनके घटक का आदमी है और इसी तरह की और भी कई मिसालें है। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि भी ो के महल में बैठकर पत्थर फैंकना बहुत अच्छी बात नहीं है। वधवा साहब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनकी क्या पोजि ान है.....

श्री जयनारायणः आप भी अपने आपकों देखें, तीन सिनेमें खोल रखें है?

श्री भाम ोर सिंहः आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आप बगैर परमि ान के बोल रहे है। मैं औब्जैक्ट करता हूं कि ये बगैर परमि ान से न बोलें और मुझे इंट्रप्ट न करें। इनका कहने का क्या मतलब है?

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वांयअ आफ आर्डर। अभी अपोजी ान के मेरे एक साथी ने बोलते हुए एक अफसर का नाम लेकर उस पर इल्जाम लगाया है। मेरी गुजारि ा यह है कि जो अफसर यहां जवाब न दे सकता हो उसके बारे में बाई नेम यहां इल्जाम नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः नहीं आना चाहिये था। He cannot defend himself.

श्री भाम ोर सिंहः सरकार डिफैंड करेगी। अगर इस तरह की बात भी हम यहां नहीं कर सकते तब तो हाउस चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे इंस्टांस पर उसकी तबदीली हुई थी। उनके अगेंस्ट अभी इंक्वायरी पैंडिंग है लेकिन इन्होंने दोबारा उसे वहां लगा दिया।..... .....(विघ्न)

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, हमार रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस में यह प्रोवाइडिड है कि सबस्टांटिव मो ान के बगैर किसी मंत्री की आलोचना नहीं की जा सकती। इस वक्त म्यूनिसिपल बिल अंडर डिस्क ान है। इस पर बोलते हुए किसी मंत्री के खिलाफ आक्षेप लगाया जान अलाउ नहीं किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य केवल बिल के ऊपर बोलेंगे।

डा0 मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया है। इसलिए मंत्री महोदय के बारे में जो बात उन्होंने कही है वह एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य केवल बिल के ऊपर बोलेंगे।

डा0 मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया हैं। इसलिए मंत्री महोदय के बारे मैं जो बाते उन्होंने कही है वह एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य ने जो बाते बिल के बारे में कही है वे तो ठीक है लेकिन जो बातें मंत्री जी के विरूद्ध कहीं है वे कार्यवाही में नहीं आएगी।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इसमे कोई सबस्टांटिव मो ान लाने की जरूरत नहीं है।.....
.....

Mr. Deputy Speaker: That will not come on record.

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड पर क्यों नही आयेगा?

श्री उपाध्यक्षः आप जो बिल से संबंधित बात कहेंगे वह तो रिकार्ड पर आएगी लेकिन जो मंत्री जी के विरूद्ध बात कहोगे वह रिकार्ड पर नहीं आएगी।

श्री भाम ोर सिंहः फिर तो यह बिल पास करने का कोई फायदा नहीं है।.....

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वांयट आफ आर्डर है। मेरी एक प्रार्थना है। माननीय सदस्य अगर बैठ जाएं तो मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही रूल्ज के मुताबिक चलती है। रूल्ज में यह साफ लिखा है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ कहना हो तो सबस्टांटिव मो ान हाउस में लाए। इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि यदि इनके पास मंत्री जी के विरूद्ध कोई मैटीरियल है तो ये हाउस के सामने सबस्टांटिव मो ान लाएं, उस पर बोलें और उसका हम भी इनको करारा जवाब देंगे। अगर इस तरह से ये आउट आफ दि वे जाकर के हिट करेंगे तो इसे हम बरदा त नहीं करेंगे।

श्री भाम ोर सिंहः आप में सुनने का सब्र ही नहीं। (विघ्न) आप जानते है कि हम आपके गुनाहो का पर्दा खोलेंगे इसलिए इनको बोलने ना दो। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः हम भी आपके गुनाहों का पर्दा खोल सकते है लेकिन गलत तरीके से नहीं। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: Before you conclude, I will invite your attention to Rule 100(2), which reads-

"A member while speaking shall not-

.....

(iii) uttar treasonable, seditious, defamatory or offensive words;.."

So, kindly be confined to the bill under discussion and also try to wind up.

Shri Shamsher Singh: Kindly hear me. I am only stating the factual position.....

श्री उपाध्यक्षः यह बात बहुत हो चुकी है। अब आप इससे आगे चले।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा0 कमला वर्मा): डिप्टी स्पीकर साहब, यह चर्चा यहां कई बार हो चुकी है और यह निणर्य भी हो चुका है कि इस तरह से किसी मंत्री को इंवाल्व नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः मैं यह बात इनसे पहले ही कह चुका हूं।

चौधरी रिजक रामः उपाध्यक्ष महोदय, जो रूल आपने अभी पढ़ कर सुनाया है इसकै अलावा एक दूसरा रूल भी है कि बिना सबस्टांटिव मो ान के किसी मिनिस्टर के विरूद्ध डिस्क ान नहीं हो सकती।

Mr. Deputy Speaker: That is there.

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पता है कि चौधरी साहब की आजकल मंत्री महोदय से बड़ी दोस्ती है और दोस्त को डिफैंड करना ही चाहिए। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पिछले सै ान में मंत्री महोदय ने यह आ वासन दिया था कि प्रौपर्टी टैक्स का जो प्रोविजन है उसको एबोलि ा करेंगे। एक महीने तक यह सै ान चला है लेकिन उस आ वासन के मुताबिक एक भाब्द भी इन्होंने यहां नहीं कहा है जोकि बहुत बुरी बात है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमायेंगे कि म्यूनिसिपल सर्विसिज को प्रोविं ियसलाइज करने का कोई प्रोविजन ये लेकिन नहीं आए है जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर म्यूनिसिपल कमेटीज से कुरप ान खत्म करनी है, वैस्टिड इंट्रैस्टस को खत्म करना है तो उन आदमियों को, जो अपने भाहरों में 20–20, 30–30 साल से नौकरी करते है, उनको म्यूनिसिपल सर्विसिज को प्रोविं ियलाइज करके, वहां से तबदील करना होगा।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इसी बिल में म्यूनिसिपल कमेटीज की क्लासिफिके ान दी गई है। यह बहुत गलत है क्योंकि यह मोटिवेटिड है। सब सैक ान 2(ए), क्लाज 3 में लिखा है कि जिन म्यूनिसिपल कमेटीज की आबादी 50 हजार है

या उससे ऊपर होगी उन्हें 'ए' क्लास बनाया जाएगा, बीस हजार से ऊपर आबादी वाली म्यूनिसिपैलेटीज को 'बी' क्लास बनाया जाएगा और बीस हजार से कम आबादी वाली म्यूनिसिपैलेटीज को 'सी' क्लास बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, दो कैटेगरीज के लिए तो इन्होंने कम लिमिट दे दी लेकिन तीसरी कैटेगरी के लिए ऊपर लिमिट देकर एक लकूना छोड़ दिया है। यह गवर्नमैंट की मर्जी है कि जिस कमेटी को यह चाहे 'ए' क्लास बना दे, जिसको चाहे 'बी' क्लास बना दे और जिसको चाहे 'सी' क्लास बना दे। हमें खतरा है कि सियासी तौर पर ये इस प्रोविजन को मिसयूज कर सकते है।

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए।

मास्टर ि ाव प्रसाद(अम्बाला भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दो मिनट बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई भाक नहीं कि कांग्रेस राज के अन्दर म्यूनिसिपल कमेटीज को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते थे कि जो कमेटी अपने अधिकार में नहीं हो सकती उसको कैसे खत्म किया जाए। मैं इसकी एक दो मिसालें आपकों देना चाहता हूं। अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमेटी पर बहुत अर्से से अपोजी ान का कब्जा रहा लेकिन 1967 के जनरल इलैक ान से पहले उस समय की कांग्रेस सरकार ने उस म्यूनिसिपल कमेटी को इसलिए तोड़ दिया कि उसके मैम्बर और प्रैजिडैंट भाहर को गंदा रख रहे है। अन्दाज लगाइए, 1967 से लेकर 1977 तक वह

यूं कि यूं रही। दस साल तक इन्होंने आंख तक नहीं खोली कि उसके चुनाव को दोबारा कराया जाए। इसी तरह का एक उदाहरण मैं सन् 1964 का देना चाहता हूं। 1964 मैं म्यूनिसिपल (12.00) कमेटी के प्रैजीडैंट का चुनाव होना था। उस टाईम पर कांग्रेस पार्टी की हकूमत थी। म्यूनिसिपल कमेटी के एक मैम्बर को नोटिस दे दिया गया कि क्यों न आपको सदस्यता से हटा दिया जाये? प्रैजीडैंट के चुनाव से 10–15 दिन पहले उसको नोटिस दिया गया ताकि मनमाने ढंग से म्यूयनिसिपल कमेटी पर अधिकार कर सकें। इस प्रकार की वे धांधलेबाजी को 'सी' क्लास म्यूनिसिपल कमेटीज बना दिया है। चौधरी देवी लाल ने और उसके मंत्रिमंडल ने जनता के अधिकारों को वापिस दिलवाने के लिये यह कदम उठाया है। जिन नगरों की आबादी 20,000 से कम है, उनको 'सी' क्लास बना दिया गया है और जिनकी आबादी 20,000 से ऊपर है और 50,000 से कम है, उनको 'बी' क्लास और 50,000 से ऊपर वाली आबादी को 'ए' क्लास बनाया गया है। जिस ढंग से ये मनमानी कर रहे थे, वह अब नहीं कर पायेंगे। अब कांग्रेस वालों को वह समय स्वप्न में याद आ रहा है। इसलिए उस समय को भूल जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, यह सब इररैलेवैंट बातें कर रहे है।

श्री मूल चंद मंगला(पलवल): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो म्यूनिसिपल बिल हाउस के सामने आया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रिंसिपल एक्ट की सैक ान 91 में यह एड किया जा रहा है–

'Provided that no persons shall be prosecuted unless he fails to pay such composition fee, not exceeding ten times the octroi due.....'

सैक्रेटरी को इसमें यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई टर्मीनल टैक्स पे नहीं करता है तो उस पर दस गुणा जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन इसी बिल की क्लाज 25, सैक ान 244 में सैक्रेटरी को यह अधिकार नहीं कि वह पांच रूपये भी जुर्माना कर सकें। अब यह दोनों बातें कंट्राडिक्टरी है। इसलिये इन दोनों बातों को क्लैरीफाई किया जाये। इन बातों के सिवाय और सब बातें इस बिल में ठीक है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि पहले जो जनता के अधिकार छीन रखे थे, वे अब वापिस दिला दिये गये है।

श्री मांगे राम गुप्ता(जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, जो नगरपालिका (अमैंडमैंड) बिल सरकार हाउस के सामने लायी है, उसके ऊपर मैं कुछ रो ानी डालना चाहता हूं। मंत्री जी ने फरमाया है कि कमेटी के इलैक ान समय पर करवाये जायेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि जो इलैक ान का टाईम था वह पहले से ही तीन साल था,

लेकिन इस बिल में अब भी यह गुंजाइ ा है कि यह पीरियड बढ़ सकता है। इसमें यह बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि पीरियड एक्सटैंड नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये आम गरीब लोगों की तकलीफें सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। हाउस टैक्स के बारे में मैंने पिछले दफा भी जिक्र किया था कि हाउस टैक्स के साथ–साथ प्रोपर्टी टैक्स भी लगा हुआ है। फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगली दफा इसका बिल ले आयेंगे लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। प्रौपर्टी टैक्स भी नहीं हटा है, हाउस टैक्स भी अभी तक लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि टाईम कम होने की वजह से इस सै ान में हम वह बिल नहीं ला सकें है। इसलिये मेरी गुजारि ा यह है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में अमैंडमैंट की जाये। दूसरी चीज जो कालोनियां म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में बनी हुई है, जिनमें सड़क, बिजली और पानी की कोई सहूलियत नहीं है, उनसे अगर टैक्स लिया जाता है, तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं कि उनको यह सुविधाएं न दी जायें। सरकार को यह अमैंडमैंट जरूर लानी चाहिए कि जब तक कमेटी उनको सारी सहूलियतें प्रदान न कर दे तब तक हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक दुाकन पर बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था जिस आदमी ने अपनी दुकान के सामने कोई बोर्ड लगा रखा है, म्यूनिसिपलकमेटी उससे पैसे चार्ज करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि म्यूनिसिपल कमेटी को क्या तकलीफ है और उससे टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है? गलत तरीके से नोटिस दिये बिना ही उनको चालान कर दिया

जाता है और उनको परे ाान किया जाता है। अगर किसी आदमी ने म्यूनिसिपल एरिया में बोर्ड लगा रखा है तो यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक बात मैंने हाउस में पिछली दफा भी कही थी और मंत्री जी ने यह वि वास दिलाया था कि म्यूनिसिपल कमेटीज की जो कौमन लैंड है, अगर उसको किसी पब्लिक इंट्रैस्ट में लिया जायेगा तो उसकी ओपन आक ान होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इसलिये मेरी गुजारि ा यह है कि कानून के जरिये कोई अमैंडमैंट लाई जाये ताकि कौमन लैंड बिना आक ान के न बिक सकें। इस अमैंडमैंट में यह होना चाहिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या प्रैजीडैंट बिला आक ान के कौमन लैंड को न बेच सकें क्योंकि वे इस ओर कोई खास ध्यान नहीं देते है। सैंकड़ों रूपये गज की जमीन को 10–15 रूपये गज के हिसाब से दे देते है। यह बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए।

जो कालोनियां म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में ही 20–20 सालों से बनी हुई है, उनमें पानी, सड़कें या पक्की गली की सुविधा नहीं है। भाहर के बाहर ये मकान गांवों से आकर किसी मुलाजिम ने या किसी अफसर ने इसलिए बनाए कि भाहर में उनको जगह नहीं मिली। लेकिल म्यूनिसिपल कमेटियां इनकी तरफ कोइ खास ध्यान नहीं देती। जब ये म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में है और इनसे हाउस टैक्स भी वसूल किया जाता है, तो इनको न पक्की गलियों की सुविधा है, न सड़कों की सुविधा है और न ही पानी वगैरह की कोई सुविधा है। यह सब प्रबंध वहां

पर किया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे जरूरी इस बात को समझता हूं कि हाउस में यह अमैंडमैंट लाई जाये कि जितनी भी भाहर के बाहर कालोनियां है, उनके अन्दर गलियों को पक्का बनाया जाये, बिजली दी जाये, और अगर पानी का वहां पर निकास नहीं है तो पानी के निकास का भी प्रबंध किया जाये।

श्री देवी दास(सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो बिल हाउस के सामने पे ा किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् 1973 में म्यूनिसिपल एक्ट में जो अमैंडमैंट की गयी थी कि कमेटी में तीन साल तक प्रैजीडैंट रहेगा और तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, उसको जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार जो कमेटी के चुनाव के बारे में अमैंडमैंट लाई है, यह बहुत अच्छी है, इसकी मैं ताईद करता हूं। दूसरी बात मैं सोनीपत म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सोनीपत की म्यूनिसिपल कमेटी की हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री महोदय से तथा गवर्नमैंट से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर सीवरेज सिस्टम चालू किया जाये। दूसरे वहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसकी तरफ सरकार को वि ोश ध्यान देने की आव यकता है। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करते हुए सरकार को बधाई देता हूं कि वह इतनी अच्छी अमैंडमैंट लाई है।

डा0 बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल हाउस के सामने पे ा है, मैं इसकी ताईद करने के

लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं एक अंग्रेजी की फ्रेज पढ़ना चाहता हूं कि Justice delayed is justice denied. इसके साथ ही एक फारसी की भी म ाहूर कहावत है कि 'देर आय दरूस्त आयद' यह बिल लाने में जरा देरी जरूर हुई है लकिन जो कुछ भी हो गया है, यह ठीक हो गया है। 1973 से लेकर आज तक इन म्यूनिसिपल कमेटीज में धांधलेबाजी हो रही थी। पिछले छः साल तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था। जगाधरी की बाबत मैं आपको बताऊं वहां पर तो पिछले डेढ़–दो साल पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर लगा था। इससे पहले वहां के एस0डी0एम0 को ही पार्ट टाईम एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा था जिसकी वजह से वहां पर बहुत धांधली थी। यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 4 से 6

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 4 से 6 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 7 के अन्दर दो कैटेगरीज बनाई गयी है एक तो है 'ए' और दूसरी है 'बी'। दो साल तक ये चुनाव की बात करते रहे लेकिन इसमें जो प्रोविजन किया है, इसके मुताबिक मुझे तो अगले 5 साल तक भी चुनाव होने की उम्मीद नजर नहीं आती। जो 'ए' और 'बी' कैटेगरी की म्यूनिसिपल कमेटियां है, उनमें चुनाव करवाने के लिये 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है कि छः महीने तक

चुनाव करवा दिये जायेंगे। आप देखियें 'सी' कैटेगरी की म्यूनिसिपल कमेटियों में चुनाव करवाने के लिये एक साल की मियाद रखी गयी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप को पता है कि 'सी' कैटेगरी की म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव तीन महीने के अन्दर–अन्दर हो सकते है तो इस तरह से डैलीब्रेटली इलैक ानों को अवायड किया गया है।

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): मैं इनकी नौलेज के लिये यह बता देना चाहता हूं कि जो नोटिफाईड एरिया कमेटीज है, वे पहले म्यूनिसिपल कमेटीज में कंवर्ट की जायेंगी। उसके बाद वार्ड–बंदी के नोटिफिके ान होंगे। फिर उसके बाद नये सिरे से वोटर्ज लिस्टें तैयार होंगी। फिर उसके बाद 110 दिन चुनाव के लिये भी तो देने पड़ेंगे।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: इस बिल ने आपने यह प्रोवाइजो भी तो लगा दिया है कि स्टेट गवर्नमैंट को अगर लैजिस्लेटिव असैम्बली यह रेजोल्यू ान पास करके रिकोमैंड करे कि छः महीने तक यह मियाद बढ़ाई जाये तो यह मियाद बढ़ाई जा सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे कोई वजह ऐसी नजर नहीं आती कि जनता पार्टी के लोग एक तरफ तो यह कहें कि हम प्रजातांत्रिक ढांचे में वि वास रखते है और उसे स्थापित करने जा रहे है और दूसरी तरफ ऐसा प्रावधान करें कि अगर विधान सभा चाहे तो 6 महीने के लिये इलैक ान पोस्टपोन कर सकते है। मैं यह कहता हूं कि ऐसा प्रोविजन करना बिल्कुल अन–डैमोक्रेटिक है। एक

प्रोवाइजों इन्होंने और लगाया है, वह यह है कि ऐसा प्रोवीजन करना बिल्कुल अन–डैमोक्रेटिक है। एक प्रोवाइजों इन्होंने और लगाया है, वह यह है कि अगर विधान सभा के या पार्लियामैंट के चुनाव हो रहें हों तो यह इलैक ान नहीं होंगे। इस से साफ जाहिर होता है कि ये कमेटियों में चुनाव कराने का इरादा यह सरकार नहीं रखती और इसे लोकतंत्र की बहाली में कोई वि वास नहीं है। मैं यह कहता हूं कि ये तीनों प्रोवाइजों डिलीट होनें चाहिएं। इस बिल के अन्दर इस बात के लिये क्लीयर डैड लाईन फिक्स होनी चाहिये कि छः महीने के अंदर या चार महीने के अंदर चुनाव अव य होंगे। अगर आप इस बिल को इसी तरह से रहने देते है तो इसका मतलब यह है कि आपने दो साल तक तो चुनाव कराये नहीं, आगे छः महीने तक और चुनाव नहीं कराओगे।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 8 से 12

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 8 से 12 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 13 से 16

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 13 से 16 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 17 व 18

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 17 व 18 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 19

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, सैक ान 68 में सैक ान 68–ए ऐड किया गया है। इस नए सैक ान में यह है कि हर पांच साल के बाद एक म्यूनिसिपल ग्रांटस कमि ान मुकर्रर किया जाएगा और इसमें पांच आदमी होंगे। एक फाइनें ि ायल ऐक्सपर्ट, एक गवर्नमैंट आफिसर, किसी एक कमेटी का प्रैजीडैंट और दो आदमी होंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमैं फाइनें ि ायल ऐक्सपर्ट होने की बात तो कही गई है लेकिन उसकी डेफिनी ान नहीं दी गई है। क्या वह कोई अर्थ ाास्त्री होगा या गवर्नमैंट का सैक्रेटरी होगा, इसकी कोई ऐक्सप्लेने ान नहीं दी गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा विचार

है कि जो भाहरों से ताल्लुक रखते है या जो लेजिस्लेटिव असैम्बली के मैम्बर है और भाहरों का प्रतिनिधित्व करते है उनके भी एक या दो आदमी इस म्यूनिसिपल ग्रांटस कमि ान के सदस्य होने चाहिएं।

चौधरी लाल सिंह(नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो इस बिल का सब ने समर्थन कर दिया है और मैं भी समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वह तो आटोमैटिकली म्यूनिसिपल कमेटी बन जाएगी लेकिन जहां की आबादी नोटिफाइड एरिया कमेटी से दोगुनी है और उसको कांग्रेस राज्य ने गंद फैलाकर पंचायत रखा हुआ था उसका क्या होगा?

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह बार–बार कांग्रेस की बुराई कर रहे है इनसे पूछिए कि ये कितनी बार कांग्रेस के मैम्बर बनकर आए है?

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है–

कि क्लाज 19 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 20 से 30

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है–

कि क्लाजिज 20 से 30 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 31

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 31 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनेंक्टिंग फार्मूला बिल का अनेंक्टिंग फामूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पास किया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। आनरेबल मिनिस्टर ने पब्लिक में और प्रैस कांफ्रेंस में खड़े होकर कहा था कि म्यूनिसिपल कमेटीज के मुलाजिमों की सर्विस को ऐफि ाएंट बनाने के लिए उनका स्टेट कैडर बनाया जाएगा और इन को ट्रांसफरेबल बनाया जाएगा क्योंकि एक–एक आदमी को एक ही भाहर में पच्चीस तीस साल सर्विस करते हो गए हैं। वे लोग अच्छा काम नहीं करते।

इसलिए इन पोस्टों को भीघ्र ट्रांसफरेबल बनाया जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन देहातों की आबादी पांच हजार है उनको वही फैसिलिटीज दी जाएं जो भाहरों को मिलती है। तीसरी बात यह है कि भाहरों को जो आमदनी होती है वह देहात और गांव से होती है। देहात के लोग अनाज, डंगर और बहुत सी चीजें लेकर आते है और इस प्रकार से आधे से ज्यादा पैसा देहात से आता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वह पैसा देहात पर खर्च होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए जैसा कि पिछले दिनों किया गया कि दस लाख रूपया सिरसा म्यूनिसिपल कमेटी को दे दिया तथा कई और म्यूनिसिपल कमेटीज को दे दिया। कैथल म्यूनिसिपल कमेटी की हालत बहुत खराब है। उस कमेटी को 'ए' क्लास कमेटी बनाना चाहिए और उसको दस लाख रूपया देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जो म्यूनिसिपल एक्ट बनाया गया है उसको सरकार खु ाी से बनाए हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मेरा कहना तो यही है कि भाहरों में जो पैसा आता है वह देहात से आता है उसका कम से कम आधा पैसा देहात में लगना चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने दो तीन प्र न उठाए है। मैं इनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हम इन सर्विसिज को प्रोविन्सलाइज्ड कर रहे है। एक्ट में आलरेडी इसका प्रोवीजन है और हम इसके बारे में सर्विस रूल्ज बना रहे है इससे बहुत सी सर्विसिज प्रोविन्सलाइज्ड हो

जाएंगी। जो जनरल ट्रांसफर होंगे उनमें इनके भी ट्रांसफर होंगे। दूसरी बात इन्होंने कैथल को 'ए' क्लास म्युनिसिपल कमेटी बनाने के लिए कही है। इन्होंने ि ाड्यूल को पढ़ा नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, ि ाड्यूल में जो 'ए' क्लास म्युनिसिपल कमेटीज है उनमें कैथल का नाम है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाहरों को जो आमदनी होती है वह देहात से चीजें आती है जैसे अनाज है, डंगर है, उनसे होती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने सब्जी, चारा और भूसे पर से महसूल खत्म कर दिया है। पहले अर्बन एरिया में मवे ाी टैक्स लगता था अब सारे हरियाणा के अन्दर इसको खत्म कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हाउस टैक्स के बारे में बताना चाहता हूं। भाहरों के अन्दर पचास परसेंट आबादी देहात की होती है जैसे हरिजन है, रिक ो वाले है, स्टूडेंटस है और गवर्नमैंट एम्पलाइज है उनको हमने हाउस टैक्स में सहुलियत दी है। कांग्रेस के जमाने में यह था कि जिस मकान का किराया दस रूपए महीना था वह हाउस टैक्स से माफ था। मैंने इसको बढ़ाकर छः सौ रूपया सालाना कर दिया है और इस तरह से भाहर की एक तिहाई आबादी जो गांव की थी और गरीब थी उनके ऊपर से हाउस टैक्स माफ हो गया है। मैंने हाउस टैक्स के बारे में गाइड लांइज दी है कि इस हिसाब से हाउस टैक्स लगाया जाए और अब उसी हिसाब से लगाया जा रहा है। अब हरिजन, रिक ोवाले, स्टूडेंट्स तथा दूसरे गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता(जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि एक्ट के मुताबिक अब हाउस टैक्स लगाया जाएगा। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक जो किराए की लेटैस्ट असैस्मेंट है उससे पच्चीस परसैंट से ज्यादा एक्सटें ान नहीं की जा सकती लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सीमम केसिज में दो सौ परसेंट एक्सैस बढ़ौतरी की है।

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंनें गाइड लाइंज भेज दी है लेकिन क्योंकि ला के नीचे यह म्यूनिसिपल कमेटी की ही पावर है और गवर्नमैंट उसमें दखल नहीं दे सकती। फिर भी जो गांइड लांइज मैंने भेजी है अगर उसके अगेंस्ट कोई केस हुआ है तो मेरे नोटिस में लाएं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह तो वही बात है कि–

ए कब्रस्तां टूटती क्यों नहीं खामो ाी तेरी,

हम तो मर–मर कर मुझे आबाद किये जाते है।

डा0 बृज मोहन गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, एमरजैंसी के अन्दर हाउस टैक्स बीस गुना बढ़ा दिया गया था और किसी की सुनवाई नहीं होती थी। अगर कोई कहने गया तो उसको 'मीसा' में बंद कर दिया गया।

चौधरी ि ाव राम वर्मा(नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिल में कोई ऐसी बात

नहीं है। जितनी पहली कमियां थीं वे सारी दूर कर दी गई है। मैं समझता हूं कि आव यकता के मुताबिक यह बिल बनाया गया है, ऐसा कोई सोच भी नही सकता। राम लाल जी मेरे साथी है और मैं इनकी भावनाओं को जानता हूं। मैंने इस बारे में कहना तो और भी था लेकिन समय नहीं है। पहले एक्ट में यह था कि कमेटी के चुनाव हो जाते थे और रिजल्ट आउट हो जाता था। परन्तु इस संबंध में जब तक नोटिफिके ान नहीं हो जाता था तब तक कमेटी काम नहीं कर सकती थी लेकिन इस बिल में अब यह कर दिया गया है कि रिजल्ट निकलने के तीस दिन के अन्दर–अन्दर अगर नोटिफिके ान नहीं भी होता है तो भी नोटिफिके ान हुआ माना जाएगा और कमेटी अपना काम भुरू कर सकेगी। तो यह कोई छोटी बात नहीं है जो इस बिल में की गई हैं। पहले जो डिले की जाती थी वह बंद हो गई है।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1979

आबकारी तथा कराधान मंत्री(श्री भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा साधारण विकय कर (सं ाोधन) विधेयक, 1979 सदन में प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 3 से 6

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 3 से 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनेक्टिंग फार्मूला बिल का अनेक्टिंग फार्मूला हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(श्री भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) बिल, 1979

ि ाक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1979 सदन में पे ा करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष: मुझे इस मो ान पर चौधरी रिजक राम जी की ओर से एक अमैंडमैंट की सूचना की प्राप्ति हुई है। चौधरी रिजक राम जी कृपया अपनी अमैंडमैंट पे ा करें।

चौधरी रिजक राम(राई): स्पीकर साहब, मैं यह सं ाोधन पे ा करना चाहता हूं कि हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1979 हरियाणा विधान सभा की निम्नलिखित सात सदस्यों की सिलैक्ट कमेटी को इस निर्दे ा के साथ सौंप दिया जाए कि कमेटी विधान सभा के अगले सै ान के भाुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पे ा कर दे:–

1	ि ाक्षा मंत्री	चेयरमैन
2	डा0 मंगल सैन, उद्योग मंत्री	सदस्य
3	श्री हरस्वरूप बूरा, एम0एल0ए0	सदस्य
4	राव बीरेंद्र सिंह, एम0एल0ए0	सदस्य
5	श्रीमती सुशमा स्वराज, एम0एल0ए0	सदस्य
6	श्रीमती भाांति राठी, एम0एल0ए0	सदस्य
7	श्री रिजक राम, एम0एल0ए0	सदस्य
(प्रस्ताव को पे ा करने वाले)		

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Affiliated College (Security of Service)Bill, 1979 be referred to the Select Committee of the Haryana Vidhan Sabha, consisting of the following seven members:-

1	Education Minister	Chairman
2	Dr. Mangal Sein, Industries Minister	Member
3	Shri Har Swarup Bura, M.L.A.	“
4	Rao Birender Singh, M.L.A.	“

5	Smt. Sushma Swaraj, M.L.A.	"
6	Smt. Shanti Rahtee, M.L.A.	"
7	Shri Rizaq Ram, M.L.A.(the mover of the motion)	"

with the direction that the Committee to submit its report before teh commencement of the next Session of the Vidhan Sabha.

साहेबान, यह प्रस्ताव सदन के सामने रखने से पहले मै आपके सामन एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि रूल्ज आफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस इन हरियाणा विधान सभा के रूल 132(2) के तहत यह है–

'No member shall be appointed to a Select Committee unless he is willing to serve on the Committee. The mover shall ascertain before moving his motion whether members proposed to be included by him in his motion are willing to serve on the Committee. The name of the Deputy Speaker on of a member of the Panel of Chairmen shall not be included in the motion except in consultation with the Speaker.'

यानी कि डिप्टी स्पीकर या किसी चेयरमैन साहेबान का नाम स्पीकर से कंसलटे ान किये बगैर इसमैं इनक्लूडिड नहीं होना चाहिये। तो इसमें सिर्फ इतनी बात है कि चौधरी हरस्वरूप बूरा जो पैनल आफ चेयरमैन में है, उनका नाम इसमें इनक्लूडिड

है लेकिन इस बारे में मेरे को कंसल्ट नहीं किया गया है। खैर यह बात तो बाद में डिस्कस की जा सकती है।

Shrimati Shushma Swaraj: I have not been consulted at all.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, कमेटी मैम्बर्ज की इसमें कोई रिजिडिर्ट नहीं है कि वे मैम्बर हों लेकिन ऐजुके ान मिनिस्टर ऐसी सिलैक्ट कमेटी के आम तौर पर मैम्बर होते है। मैं इस संबंध में सं ाोधन पे ा करना चाहता हूं, अगर अमैंडमैंट मंजूर हो तो स्पीकर साहब, स्वयं सिलैक्ट कमेटी मुकर्रर कर दें, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी रिजक राम ने कमेटी के 7 मैम्बरों के जो नाम दिये है उनमें उनका खुद का नाम भी भाामिल है। यह तो वही बात हुई कि गांव इक्ट्ठा होकर यदि इतेफाक से पंचो और सरपंच का चुनाव करना चाहे तो ऐसा होता है कि किसी गांव के एक व्यक्ति को सालस मुकर्रर कर दिया जाता है और उसको अखित्यार दे दिया जाते है कि वह पंचों और सरपंच का नाम रख दें। एक दो मिसालें ऐसी है जहां उस व्यक्ति ने स्वयं को सरपंच घोशित कर दिया, यही बात यहां पर भी लागू हो रही है क्योंकि इस कमेटी के मैम्बरों में श्री रिजक राम जी ने अपना नाम भी रख लिया है।

Mr. Speaker: There is nothing in the rules which debars the mover to include his name in the membership of the select committee.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर महोदय, मैंने अपना नाम तो इसलिए रखा था कि मैं खुद तो रजामंद था ही (हंसी)। असैम्बली रूल्ज के रूल नं0 132 के सब रूल (3) में भी यह लिखा है–

'(3) The Minister to whose department a Bill relates, the member-in-charge of the Bill, the Advocate-General, and either the Deputy Speaker or a member of the Panel of Chairman as may be nominated by the Speaker shall be members of every Select Committee; and it shall not be necessary to include their names in any motion for appointment of such a Committee.

तो अंडर दिस रूल ये खुद ब खुद उसके मैम्बर होते है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्पीकर साहब फरमायेंग वह हमैं मंजूर होगा। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक दो बातें कहना चाहता हूं। इस बिल में कई ऐसी धाराएं है जिनके बारे में मैं ि ाक्षा मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। टीचर्ज को सिक्योरिटी मिले यह आज के हालत के मुताबिक आव यक भी है और इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है। इस बिल में जहां तक क्लाज 7 का सवाल है जिसमें डिसमिस के अलावा कोई भी और सजा दी जाए तो उस पर अपील में डी0पी0आई0 या सरकार नजरसानी कर ले तो कोई आपति नहीं है, क्योंकि मैंनेजिंग कमेटी भी उस एम्पलाई को कालेज से हटाना

नहीं चाहेगी। अगर डी0पी0आई0 या सरकार उसकी सजा कम कर दे तो कोई आपति नहीं है लेकिन मेरा उद्दे य जो सं ाोधन लाने का है वह वि ोशकर उन हालात में है जब मैनेजिंग कमेटी किसी टीचर को कालेज से निकालना चाहती हो। स्पीकर महोदय, सरकार चल रही है इसमें बहुत से डिपार्टमैंट है। एक हैड आफ दि डिपार्टमैंट है। अगर किसी सबौर्डिनेट की उससे नहीं बनती तो वह उस पर एक ान लेता है। अगर वह रिप्रजैटे ान देता है तो सरकार का इतना बड़ा अदायरा है कि वह किसी भी डिपार्टमैंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कालेज का एक एम्पलाई या टीचर अगर ऐसे हालात पैदा कर दे जिससे मैनेजमैंट उसको निकालने के लिए मजबूर हो जाए तो उसे निकालने से पहले इस एक्ट के तहत पहले डी0पी0आई0 की मंजूरी ली जाएगी कि आया यह सजा दी जाए या नहीं। अगर डी0पी0आई0 भी उसकी एप्रूवल दे देता है तो सरकार को यह अख्तियार है कि वह डायरैक ान दे सकती है कि इस एम्पलाई को रखा जाए। अगर मैनेजमैंट फिर भी उस एम्पलाई को नहीं रखती तो सरककर उस कालेज की ग्रांट बंद कर सकती है, इस बिल में ऐसा ही प्रोवीजन है। मैं आपके द्वारा ि ाक्षा मंत्री को अर्ज करना चाहता हूं। वे स्वयं इसमें दिलचस्पी भी रखते है और इनका तजुर्बा भी है। एक एम्पलाई जो कालेज में ऐसे हालात पैदा कर दे कि मैनेजिंग कमेटी और प्रिंसीपल से उसकी बन न सके और उनकी मर्जी के खिलाफ उसको कालेज में रखा जाये तो आप अंदाजा लगाइये कि क्या वहां की ि ाक्षा अच्छी तरह हो सकती है? स्पीकर साहब, मैं

इस बात के विरूद्ध नहीं हूं कि टीचर्ज को सर्विस सिक्योरिटी न दी जाये या एम्पलाईज को सिक्योरिटी न दी जाये लेकिन देखना यह है कि आया ऐसे हालात तो ि ाक्षा केंद्रों में पैदा नहीं हो जाएंगे जिनकी वजह से ऐजुके ानल इंस्टीट्यू ांज का माहौल ही खराब हो जाए। यह बात मैं नुक्ताचीनी की बिनाह पर नहीं कर रहा हूं बल्कि यह हकीकत है कि आजकल जितन भी गवर्नमैंट कालेजिज हरियाणा भर में है उन में ि ाक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। उनके जो सालाना नतीजें आते है उनसे हमें बहुत मायूसी होती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कालेजिज है जिनके नतीजे बहुत अच्छे आत है और वहां के स्टुडैंटस बहुत अच्छी जगहें हासिल करते है। तो अगर इन कालेजिज में भी ऐसे हालात होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे हरियाणा में ि ाक्षा का स्तर बिल्कुल गिर जाएगा। आप इनको सिक्योरिटी दीजिए लेकिन एजुके ान की कास्ट पर मत दीजिए। बच्चों की एजुके ान की कास्ट पर अगर आप इनको सिक्योरिटी देना चाहते है तो आप याद रखें कि हरियाणा में जो थोड़ा बहुत तालीम का मियार आज बचा हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा। अगर आप टीचर्ज को सिक्योटिी देना चाहते है तो उसके बारे में मैं दो बाते आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह कि जो डिसिप्लनरी एक ान कमेटी बनायें, उसमे आप डी0पी0आई0 का नाम रखें। जो फैसला हो डी0पी0आई0 उसमें भाामिल हो। वह वहां ाक वातावरण भी देखें। मिसल पर जो बातें आये उनको डी0पी0आई0 एग्जामिन करे। यानी उसके सामने जो भाहादत हो, गवाहियां हों

या जो वातावरण हो, उसको देख कर वह जो भी फैसला हो उसको मान लेना चाहिए। अगर ये मामले साल–साल या दो–दो साल तक लटकते रहेगे तो न तो उसकी जगह दूसरा टीचर आएगा और न ही वह खुद ही काम करेगा। इसलिए एजुके ानल इंस्टीच्सु ांज में ऐसा वातावरण पैदा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक तो यह तजवीज करना चाहता हूं कि आप बे ाक डिस्पिलनरी एक ान कमेटी में एक या दो नौमीनी सरकार के या डी0पी0आई0 को रख दें या टीचर्ज के जो नुमायदें है उनको रख दें, हमें कोई एतराज नहीं। ऐसा करने से सम्मिलित होकर वे हालात का जायजा ले सकते है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता ऐसे–ऐसे भाोचनीय हालात भी टीचर्ज की तरफ से हुए हैं मैनेजिंग कमेटी भी ज्यादती करती है लेकिन इसका वर्णन करना इस समय मुनासिब नहीं है। अब आपने इस बिल में यह प्रावधान कर दिया है कि वह अपील के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। अपने खिलाफ प्रोपोजड किए गए एक ान के खिलाफ डायरैक्टर के पास अपील कर सकता है लेकिन कई बार भाहादत पूरी नहीं मिलती, इस बिनाह पर उसको सजा हो जाती है। इधर से अगर सरकार कहे कि उस टीचर को रखो और उधर मैनेजिंग कमेटी कहे कि नहीं रखना है, तो कनफलिक्ट हो जाएगा। इस तरह से कालेज का काम नहीं चल सकता। कोर्ट में अपील करने के लिए सरकार की मर्जी के खिलाफ न निकाला जाए तो बिल में ट्रांसफर का प्रोवीजन कर दिया जाए। जिस टीचर को किसी कालेज की मैनेजमैंट निकालना चाहती है, उसकी प्रिंसीपल के साथ अनबन

चल रही है और मैनेजमैंट की मर्जी के खिलाफ सरकार उस टीचर को रखना चाहती है तो इन हालात में कालेज का वातावरण ठीक नहीं रह सकता। अगर टीचर की प्रिंसिपल से अनबन है तो यही अच्छा रहेगा कि उस टीचर की ट्रांसफर किसी दूसरी कालेज में कर दी जाए। लेकिन इस बिल में टीचर को कालेज से बाहर भेजने का कोई प्रोवीजन नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस एक्ट में यह प्रोवीजन करा दें कि सरकार इन्टर–ट्रांसफर कर सकती है, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। इससे कालेज का वातावरण भी ठीक रहेगा और सारा मसला भी हल हो जाएगा। आप इनको सर्विस की सिक्योरिटी प्रदान करें लेकिन एजुके ान की कास्ट पर बिल्कुल न करें। कोई भी कदम जल्दी में न उठाएं और जो तजवीज मैंने रखी है, यह बिल्कुल सही है, सरकार इस पर गौर करे। इस पर सरकार एक कमेटी बना दे। उस कमेटी में सरकार चाहे किसी भी आनरेबल मैम्बर को रखे, किसी को भी अप्वायंट कर दे, किसी को कोई आपति नहीं, लेकिन इस पर विचार जरूर करें। वह कमेटी एक महीने में, दो महीनों में या जो अवधि सरकार मुकर्रर करे, उस के दौरान अपनी रिपोर्ट दे दे। इस वक्त बे ाक आप बिल पास कर लें, लेकिन इस बात पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि इसमें बच्चों की तालीम का सवाल है। कहीं ऐसा न हो कि टीचर्ज को सर्विस की सिक्योरिटी देने के जो ा में, ि ाक्षा का मयार जो पहले ही गिरा हुआ है वह और ज्यादा न गिर जाए। स्पीकर साहब, जो सं ाोधन मैंने दिया है, मेरे ख्याल में सरकार इस पर जरूर विचार

करेगी। मंत्री महोदय आम तौर पर हर समस्या पर गम्भीरता से विचार करते है और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस तरमीम पर भी विचार करेंगे।

श्री जगन नाथ(बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में पे ा है, यह काफी हद तक ठीक है क्योंकि इस विधेयक से लैक्चररज और टीचर्ज को सर्विसिज की सुरक्षा मिलेगी। हमने अक्सर देखा है कि भिवानी, दादरी और रेवाड़ी के अन्दर जो कालेजिज है, उनमें टीचर्ज के दस्तखत तो 1100 रूपये पर करवाते है लेकिन देते है सिर्फ 500 रूपया। अगर लैक्चरर मैनेजमैंट की मर्जी के हिसाब से न चले तो उसकी छुट्टी हो जाती है। इस बिल के जरिए उनकी सुरक्षा है लेकिन यह परमानैंट समाधान नहीं है। टीचर्ज की सुरक्षा के लिए जो कुछ आपने बिल में किया है, उसकों साईड–ट्रेक करने के लिए मैनेजमेंटस रात–रात में ही कोइ न कोई तरीका निकाल लेगी और समाधान की बात उसी वक्त खत्म हो जाएगी। एक ही तरीका है कि तमाम प्राइवेट कालेजिज का राश्ट्रीयकरण कर दिया जाए क्योंकि प्राइवेट कालेजिज या स्कूल कोई न कोई न्यूसैंस किएट करते रहते है। कहीं जाट कालेज का नारा लगता बैठते है, कहीं ब्रहाम्ण कालेज का नारा लगा बैठते है। इसका परमानैंट समाधान तब होगा, जब इन सब का राश्ट्रीयकरण हो जाएगा। इन कालेजों को 80 परसैंट अनुदान सरकार देती है, सिर्फ 15 परसैंट की कमी रहती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस 15 परसैंट की

कमी को भी पूरा करके तमाम कालेजों का राश्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसके अलावा जितने भी कालेज या स्कूल जाति के नाम पर चले हुए है कोई जाट के नाम पर, कोई अहीर के नाम पर, कोई ब्रहाम्ण के नाम पर, इन सब के नाम चेंज किए जाने चाहिए... .....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, ये अहीरों का नाम ले रहे हे, अहीरों का नाम कालेजों के साथ रहना चाहिए (व्यवधान) हमारे बगैर तो फौज भी नहीं चल सकती..... .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो नाम ले रहे है वह किसी जाति का नाम नहीं है, कालेज का नाम है।

श्री जगन नाथः..... .....(व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः..... .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वजारत तो बड़े–बड़े खा बैठे है। वक्त की बात है, इसका इससे क्या संबंध है?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि कालेजिज का नाम जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती हे। जहां मैं पढ़ता

था, वहां भी जाति के नाम पर दो कालेज थे। उनका आपस में हर समय तनाव बना रहता था, आपस में पिटाई होती थी। इसलिए जाति के नाम पर कोई कालेज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम जाति के आधार पर है, ये भी नहीं होने चाहिएं इससे एक जाति की दूसरी जाति के प्रति नफरत पैदा होती है, इसी कारण ये सदियों से नफरत के अड्डे बने हुए है। एक जाति दूसरी जाति को डौमीनेट करती है। एक जाति अपना प्रचार करती है और दूसरी उसके खिलाफ प्रचार करती है, इस तरह से तनाव बढ़ता रहता है जिसका प्रचार आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, जाति के आधार पर अगर इनकी सीट रिजर्व न होती तो ये कभी एम0एल0ए0 बन कर न आते.....(व्यवधान)

श्री जगन नाथः मैं तो जनरल पूल से बन कर आयाहूं, रिजर्व सीट से नहीं आया। (व्यवधान) मैं कह रहा था कि प्राइवेट कालेजों का समाधान परमानैंट होना चाहिए। जहां इन कालेजों को 80 फीसदी अनुदान देते है, वहां 100 फीसदी कर दें और इनको अपने अंडर ले लें। इन कालेजेां का नाम किसी बड़े नेता के नाम पर बे ाक हो जाये लेकिन जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए, इससे बड़ी नफरत फैलती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे सुझाव पर गौर करेगी।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हाउस में जो डिस्क ान चल रही है, क्या यह अमैंडमैंट पर है या सारे बिल पर हो रही है? मुझे बता दें ताकि मैं उसी हिसाब से बात कहूं।

कई सदस्यः आप दोनों पर ही कह दें। (व्यवधान)

चौधरी बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस बिल की मं ाा यह है कि प्राइवेट कालेजिज के जो लैक्चरर्ज है उनको सर्विस की सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन अभी मेरे माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम जी ने इस बात पर जोर दिया कि ि ाक्षा की कौस्ट पर इनकी सर्विसिज को सिक्योरिटी न दी जाए। स्पीकर साहब, इस बिल में अगर गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि यही कोि ा ा की गई है कि सारी की सारी पावर्ज गवर्नमैंट में वैस्ट हो जाएं। यह कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार यह चाहती है कि हर स्तर पर प्रजातंत्र का ढ़ांचा मजबूत किया जाए। प्रजातंत्र का ढ़ांचा, केवल विधान सीाा और पार्लियामैंट में ही मजबूत नहीं होना चाहिए। कुछ और भी इस प्रकार की संस्थाएं है, आग्रेनाइजे ान्ज है, जिन में खुद जनता के प्रतिनिधि होते है, इनको भी मजबूत किया जाना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए भी अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेजिज के लैक्चरर्ज को सिविल रिट करने से डिबार कर दिया गया है। स्पीकर साहब, बार–बार जनता पार्टी के लोग एमरजैंसी की दुहाई देते थे, चिल्लाते थे कि एमरजैंसी के दौरान अदालत का गला घोंटा गया लेकिन **(13.00**

बजे) अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गला घोंटने वाली कोई बात नहीं हो सकती कि एक अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाता है उसे यदि डी0पी0आई0 के दफ्तर से न्याय ने मिले तो वह कानून का दरवाजा भी न खटखटा सके। फैसला तो किसी से भी गलत हो सकता है, डी0पी0आई0 से भी हो सकता है और सरकार से भी हो सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए ही तो न्यायालय बनाए जाते है। अगर हम कानून में इस तरह का प्रावधान कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी तरक्की रोकी जाती है या उसे नौकरी से निकाला जाता है वह अदालत में नहीं जा सकता तो फिर प्रजातंत्र का क्या फायदा?

श्री हरफूल सिंहः इंदिरा गांधी ने तो दिवारे तोड़ दी थी। आप कैसे इंसाफ की बात करते है?

चौधरी बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सरकार तो प्रजातंत्र की दुहाई देती है, स्पे ाल कोर्टस की दुहाई देती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस दे ा की उन्नति की बुलंदी तक पहुंचाया था। हमारी सरकार ने किस तरह से बंगला दे ा को आजादी हासिल करने मैं मदद की यह सारे संसार के सामने है। (ाोर)

चौधरी लालू सिंहः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं अपने माननीय सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के साथ जो अत्याचार इस इंदिरा कांग्रेस ने

किया है उसे यह दे ा कभी नहीं भूल सकता लेकिन ये फिर भी उसका नाम लेने लग रहे है।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं ि ाक्षा मंत्री जी से पुरजोर सिफारि ा करूंगा कि अगर ये इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को नहीं भेजना चाहते तो कम से कम इसमें यह प्रावधान तो जरूर कर दें कि कोई भी आदमी, कोई भी अध्यापक, कोई भी स्टुडैंट, कोई भी मैनेजिंग कमेटी का मैम्बर यदि सरकार के फैसले से संतुश्ट न हो तो उसे कम से कम यह अधिकार जरूर दिया जाए कि वह अदालत में जाए और उससे न्याय की मांग कर सके। यह हर इन्सान का मौलिक अधिकार है। इससे किसी इंसान को वंचित रखना मौलिक अधिकारों की दुहाई देने वाली सरकार को भाोभा नहीं देता कि इस किस्म के आर्बिट्रेरी फैसले लिए जाएं और अदालतों के दरवाजें उन लोगों के लिए बंद कर दिए जाएं। (विघ्न)

स्पीकर साहब, क्लाज 11 में स्टेट गवर्नमैंट को वे पावर्ज दे दीर गई है जो किसी एक्ट में देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से क्लाज 9 में यह कहा गया है कि जो कार्यवाही गवर्नमैंट का कोई अफसर, की हैसियत से या अपील सुनते वक्त करेगा उसके खिलफ कोई भी कार्यवाही कहीं नहीं हो सकती। न अपील ही हो सकती है और न ही अदालत में जाया जा सकता

है। अब यह कैसे मान लिया जाए कि हर सरकारी अफसर जो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा उसका फैसला मैलाफाइडी न हो बल्कि न्यायसंगत हो। यह देखते हुए यह सैक ान भी अनडैमोक्रेटिक है। गवर्नमैंट के आफिसर्ज को इसमें बेइंतहा भाक्ति दी गई है जिसका मिसयूज होना जरूरी है। यह क्लाज भी इस बिल में से डिलीट की जानी चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं चौधरी रिजक राम जी की मो ान का स्वागत करता हूं और यह कहता हूं कि यह बड़ा डैलिकेट क्व चन है क्योंकि आप ऐप्रि ाएट करेंगे कि हरियाणा के 16 साल से 22 साल तक के नौजवान हजारों की संख्या में इन संस्थाओं में ि ाक्षा पा रहे है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस मामले को सिलैक्ट कमेटी द्वारा निपटाया जाए और फिर सदन में लाया जाए ताकि और फैक्टस लोगों को मिल सकें।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा मंत्री महोदय ने हरियाणा संबंध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1979, आज सदन में पे ा करके बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं आज उन्हें इसके लिए बधाई देती हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, यह वह समस्या है जो पिछले 32 वर्श से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि विधान सभा के अधिवे ान में गाहे–बगाहे इसका जरूर उल्लेख आया है, किसी न किसी सदस्य ने जरूर इस मसले को उठाया है। आज तक यानी 32 वर्श से प्राइवेट कालेजिज के टीचर्ज की कोई बात नहीं सुनता था,

मैनेजमैंट जब चाहे उन्हें निकाल देती थी। वह बार–बार पुकारता था कि सरकार कोई विधायक लेकर आए जिससे उसकी सर्विस की सुरक्षा बन सकें। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने एक सं ाोधन पे ा किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि उन्हें इस बिल में कौन सी खामी नजर आई जिसकी वजह से इसको सिलैक्ट कमेटी को भेजना चाहिए। मैंनें इसे क्लाज बाई क्लाज पढ़ा है। यह बिल्कुल पूर्ण बिल है। जो उनका सं ाय है वह यह है कि अगर कोई अनसो ाल ऐलीमैंट कालेज में भर्ती हो जाता है तो उसे कोई प्रिंसिपल या मनेजिंग कमेटी निकाल नहीं सकेगी, और वह कालेज में बैठकर गड़बड़ पैदा करेगा। यह सं ाय उनका ठीक है लेकिन यह बताते हुए जिस धारा सात का ये उल्लेख कर रहे थे, उसमें की नही लिखा है कि ऐसे असामाजिक तत्व को निकाला नहीं जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल मात्र उसके ऊपर चैक रखा है और यह चैक बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी कहा कि आजकल हालात ऐसे चल रहे है कि मैनेजमैंट जिसको चाहे लगाती है और जिसको चाहे निकालती है। ये चैक्स तीन तरह के है। पहला चैक यह है कि किसी भी टीचर को बिना जांच किए निकाला नहीं जाएगा। दूसरा चैक यह है कि किसी भी टीचर को बिना सुनवाई का अवसर दिए निकाला नहीं जाएगा। स्पीकर साहब, यह चैक ऐसा है जो प्रिंसिपल आफ नैचुरल जस्टिस में आता है। तीसरा चैक यह है कि डायरैक्ट की एप्रूवल जरूरी है। (विघ्न) अगर कोई

ि ाक्षक यह समझें कि उसको निकाला जाना गलत है तो वह उसकी ऐप्रूवलनहीं देगा। अगर वह समझें कि उसको सही निकाला गया है क्योंकि वह कालेज में गड़बड़ पैदा कर रहा था, कालेज में गैर–सामाजिक वातावरण फैला रहा था तो उसकी एप्रूवल दे सकता है। उसकी एप्रूवल फाईनल होगी।

स्पीकर साहब, सिविल कोर्टस को बार करने का जहां तक संबंध है, मैं नहीं समझती कि भाई बीरेंद्र सिंह जी कैसे इसके बारे में बोल रहे थे। इसका फायदा सबसे ज्यादा मैनेजिंग कमेटी उठाना चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में पहले प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है जिसके द्वारा जजिज देखते है कि मसला कितना महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें मसला महत्वपूर्ण लगता है तो उसमे हाई कोर्ट के जजिज दखल देते है। यदि उन्हें लगता है कि इसमें कीं कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसके अंदर हम गौर से जाना चाहिए या केवल समय नश्ट करने के लिए यह लाया गया है तो वे कच्ची पे ाी में उसे खारिज कर सकते है जबकि दीवानी मुकदमें तो एडमिट होंगे ही हों गे और वर्शों तक मुकदमें चलते रहेंगे। आपको खुद पता है और हर देहाती और भाहरी को भी पता है कि जब कोई दीवानी मुकदमा कोर्ट में एक बार चला गया तो चार–पांच वर्श से पहले उसका फैसला नहीं होगा, फिर उसके लिए अपील हाई कोर्ट तक होती है। अगर कहीं सरकार का कोई फैसला गलत हो जाता है तो मैनेजमैंट या टीचर जिसके खिलाफ वह फैसला है और जो भी एग्रीव्ड अपील करता है वह

हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है और वहां से वह न्याय प्राप्त कर सकता है। इसमें दीवानी मुकदमें को खत्म किया जाना इसलिए भी जरूरी था ताकि फैसले में डिले ने हो।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जहां जस्टिस डिले हो जाता है वहां जस्टिस डिनाईड समझा जाता है इसलिए न्याय में देरी न हो इस वजह से यह प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, एक मुगालता हमारे साथियों को और है, वह यह है कि जहां डायरैक्ट को अपील का प्रावधान किया गया है वहां उसी डायरैक्टर की एप्रूवल का प्रावधान भी किया गया हैं। वे यह समझ रहे है कि आज जिस डायरैक्टर की एप्रूवल ली जायेगी, अगर फिर उसी डायरैक्टर के सामने कोई अपील होगी तो बहुत बड़ी एनोमली समझी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, वे कुछ गतलफहमी में है। वास्तव में सही यह है कि केवल तीन चीजों के लिए डायरैक्टर की एप्रूवल चाहिए और वे तीन चीजें है, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक ान। अगर मैनेजमैंट ये तीन सजायें देना चाहती है– सजायें तो बहुत है लेकिन अगर सारी सजाओं में से ये तीन सजायें देना चाहती है किसी अधिकारी को डिसमिस करना चाहती है, रिमूव करना चाहती है या उसके रैंक में रिडक ान करना चाहती है तो डायरैक्टर की एप्रूवल जरूरी है लेकिन अगर तीनों के अलावा कोई और सजा देनाचाहती है तो एप्रूवल जरूरी नहीं है। फिर टीचर को अख्तियार है कि वह डायरैक्टर के पास अपील कर सकता है यानी ये दो चीजें अलग अलग है। जिस में एप्रूवल

होगी उसमें अपील का प्रावधान नहीं है लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और सजा देते है तो डायरैक्टर के पास अपील कर सकता है यानी ये दो चीजें अलग अलग है। जिसमें एप्रूवल होगी उसमें अपील का प्रावधान नहीं है लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और सजा देते है तो डायरैक्टर के सामने अपील कर सकते है। इस तरह की कोई एनोमली इस बिल में नहीं है और मैं चौधरी रिजक राम जी से कहना चाहती हूं कि किसी भी तरह की कोई भी कमी इस बिल में नहीं है। अगर इस बिल को और लटकाया गया तो जो 32 वर्शों से समस्या लटकी चली आ रही थी वह और भी लटक जायेगी। हम चाहते थे कि दो वर्श इस सरकार को बने हुए हो गये है इसलिए यह बिल पहले ही आना चाहिए था। मैं तो कहूंगी कि यह देर से आ रहा है पहले आना चाहिए था। उनको पहले ही यह सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। अब यह बिल आज आया है तो इसको पास करने में किसी प्रकार की डिले नहीं होनी चाहिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल सरकार लाई है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और रह गई जिसको मैं कहना चाहूंगी। एक तरफ तो हम सर्विस सिक्योजिटी टीचर्ज को दे रहे है, दूसरी तरफ मैं आपके द्वारदा सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहती हूं। इन्होंने जो सर्वे कमेटी की रिपोर्ट मंगवाई थी, जब आप ि ाक्षा मंत्री थे, उस टाईम पर वह कमेटी नियुक्त हुई थी। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया है।

सर्वे कमेटी की रिकमैंडे ान की बिनाह पर एक लैटर डी0पी0आई0 आफिस से सारे कालेजिज को गया है। उसमें यह कहा गया है कि वर्श 1978–79 के लिए उनको ए0डी0ए0 की इन्स्टालमैंट उसी तरह से दे दें जैसे गवर्नमैंट कालेजिज को दी जाती है। उसके मुताबिक कालेजिज ने दे दी लेकिन अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह कैसे गलती हुई कि उसके बाद एक लैटर कालेजिज को एजुके ान मिनिस्टरी की तरफ से गया है जिसमें यह लिखा है–

"Full ADA should be paid by private colleges w.e.f. 1-4-79. The decision whether arrears are to be paid should ble left to the management of these institutions. Arrears will not form a part of expenditure for calculating deficit to determine the maintenance grant."

श्री अध्यक्षः इसका यहां पर क्या संबंध है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः इसका संबंध यह है कि एक तरफ तो हम उनको सर्विस सिक्योरिटी दे रहे है और दूसरी तरफ इन्होंने इसमें यह लिख दिया है। यह जो लैटर 1.4.79 से ए0डी0ए0 देने के लिए गया था उसके मुताबिक तो 1978–79 का पैसा दिया जा चुका है लेकिन आज ये कह रहे है कि हम इसको खर्च में भाामिल नहीं करेंगे। इससे तो सारी की सारी मैनेजमैंटस इस खर्चे को वापिस मांगेगी। दो–दो हजार रूपये टीचर्ज को दिय जा चुके है और अब उनसे वापिस मांगे जायेंगे क्योंकि इस पैसे को खर्च में भाामिल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। यह इतनी बड़ी एनोमली है कि वे लोग परे ाान होंगे। यह

एनोमली आज सामने आई है। उस समय सामने नहीं आई वरना मैं तब भी इस बात को रख सकती थी। इस बात को मैं एजुके ान मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहती थी कि अगर यह कर दिया गया तो बहुत बड़ा नुक्सान टीचर्ज को होगा क्योंकि जिन को पैसा मिल चुका है उनसे मैनेजमैंट वापिस मांगेगी। सरकार को बल्कि इतना करना चाहिए कि जहां 1.4.79 लिखा है वहां पर 1.4.78 कर दिया जाये। ि ाक्षा मंत्री महोदय यहां पर बैठे है और फाइनैंस मिनिस्टर साहब भी है। आप उनसे मिल कर 1.4.78 करवा दें तो सारे का सारा मसला हल हो जायेगा और सारे के सारे टीचर्ज आपको बधाई देंगे। इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत भाुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है। एक दो बातैं ही मैं तोड़ की कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब, विधान सभा का सै ान एक महीने तक चला है और रोजाना ही हमारे आनरेबल मिनिस्टर श्री हीरा नंद आर्य ने माना है कि आजकल पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है। इसलिए मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं कि यह कोई मामूली बिल नहीं है, यह बड़ा इम्पौरटैंट बिल है। यह बिल ने ान को बनाने वालों से संबंध करता है। ये कौम के निर्माता है इसलिए इस बिल को सोच विचार कर यहां से पास किया जाना चाहिए। मैं तो इस बारे में

यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी स्कूल है सब को ने ानेलाइज किया जाना चाहिए इसके सिवाए कोई परमानेंट इलाज नहीं है यह जो इलाज किया जा रहा है यह भी टैम्पोरेरी हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारि ा है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जायें। उस कमेटी में गौर होने के बाद यहां पर लाया जाये। सिलैक्ट कमेटी में जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के भी मैम्बर्ज भाामिल होने चाहिए। यह सारे हरियाणा का सवाल है। इस मौजूदा बिल में अदालत का गला घोटा है और इसे अदालतों से दूर रखा गया है जोकि गलत बात है। सिर्फ गुड फेथ वर्ड कहने से किसी का भला नहीं हो सकता। किसी को नौकरी से हटा देने पर भी वह अदालत में न जा सके तो यह सारा ही अनडैमोक्रेटिक है। एमरजेंसी के टाईम में भी बहुत जुल्म हुए क्योंकि उस टाईम भी लोग अदालतों में नहीं जा सकते थे। इसलिए हमें तकलीफें सहन करनी पड़ी। हमे हाईकोर्ट में भी नहीं जान दिया गया और हम को जेलों में सड़ना पड़ा। स्पीकर साहब, आप बड़े तजुर्बेकार है और मिलिटरी में रहे है इसलिए इसको पास न करवाया जाये और सिलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। जिस तरह से एमरजेंसी में जुल्म हुए है, वे दोबारा न करवायें जाये। अदालत में जाने का अधिकार होना चाहिए। हम सभी ने एमरजैंसी के दिनों में तकलीफे भुगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाये। चौधरी रिजक राम जी तो बदकिस्मती से यहां पर मैम्बर बन बैठे है, ये तो बहुत ही पुराने आदमी है, इनकों वजीर होना चाहिए था

ताकि हरियाणा में अच्छी तरह से राज को चलाते। इन लफ्जों के साथ मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूं कि इस बिल को पास ने किया जाये और इसे सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये।

श्रीमती भाांति देवी(कलियाना): स्पीकर साहब, प्राइवेट कालेजिज के टीचर्ज का सेवा सुरक्षा बिल आज हमारे समक्ष आया है, इसके लिए मैं ि ाक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं और स्पीकर साहब, आपको भी बधाई देती हूं क्योंकि आपने इसकी पहल की थी और इस ओर कदम बढ़ाया था। उस बएते हुए कदम का अब आर्य जी ने स्वागत किया है। इन्होंने बहुत ही मेहरबानी की है और इस बिल को तैयार करवाने में बड़ी सूझ–बूझ से काम लिया है। तीस साल के कांग्रेस भाासन में आपको पता होगा कि इन कालेजिज की क्या हालत होती थी। मैं अपके सामने चंद कालेजिज के नाम बताना चाहती हूं। उनमें डी0ए0वी0 कालेज, हसनगढ़, अहीर कालेज, रेवाड़ी, द्रोणाचार्य कालेज , गुड़गांवा और जाट कालेज, रोहतक है। इन सभी कालेजों की जो हालत बहुत ही बुरी है। उन्होनें वहां पर व्यवसायिक केंद्र बना रखें है। डी0ए0वी0 कालेज हसनगढ में हमारे प्राध्यापकों की काफी बुरी हालत रही है। उनको किसी भी टाईम पर कालेज से भांट–आउट कर देते है। कई प्राइवेट कालेजों में इतनी अधिक खराब हालत है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। वेतन के बारे में आप देख लीजिए। उनसे हस्ताक्षर तो 1500 रू0 पर करवाते है और उनको देते है केवल पांच सौ या सात सौ। सरकार जो उनको

ग्रांट देती है उसमें से प्राध्यापको को पूरी रा ि ा नहीं दी जाती है बल्कि उस ग्रांट को दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग करते है। इस कलंक को हमारी जनता सरकार ने मिटाया है इसके लिए सरकार को जितनी बधाई दी जाये उतनी ही थोड़ी है। हसनगढ़ कालेज की बात मैं आपके समने रखना चाहती हूं। वहां पर जब मैनेजमैंट की इन्कवायारी हो गई तो वहां की मैनेजमैंट बोखला गई और यह डिक्लेअर कर दिया कि यहां हम कोई कालेज नहीं चला रहे है। उसका अंजाम आपके सामने है के पहले हाई कोर्ट से हारे और अब सुप्रीम कोर्ट में हार चुके है क्योंकि वे डिक्लेयर कर चुके है कि कोई कालेज फंक ान नहीं कर रहा है। 15–20 साल की सर्विस वाले प्राध्यापक रातों परे ाान रहते थे, बेचैनी की नींद सोते थे कि पता नही किस टाईम पर क्या हालत हो जाये? एक प्राध्यापक को यह पता नही होता था कि आज अगर उसके मुंह से कोई छोटी–मोटी बात मैनेजमैंट के खिलाफ निकल गयीतो वह सवेरे नौकरी में होगा भी या नहीं होगा। इससे ज्यादा बड़ा कंलक हमारे इन कांग्रेसियों के लिए और क्या हो सकता है? इस सरकार ने बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है और मैं इसकी पुरजोर ताईद करती हूं। चौधरी रिजक राम जी ने जिनकों कालेजों के बारे में कोई एक्सपोरिएंस नहीं है, एक सं ाोधन दिया और अपनी मनमर्जी से ही बगैर हमारी जानकारी के सात सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दी। अपने अनुमान से ही इन्होंने यह कमेटी नियुक्त कर दी है। इसमें चार आदमी ऐसे है जो इसका विरोध करते और भाायद तीन आदमी ऐसे है जो इसका समर्थन

करते। बड़ी चतुराई से अपनी बुद्धिमता का इन्होंने उसमें परिचय दिया है कि तीन हक में जायेगे और चार उसके उलट जायेंगे तो आर्य जी इनकी बात का मान लेंगे। मेरा कहना यह है कि इनको हरेक मैम्बर को पहले परखना चाहिए था। एक तो ये स्वयं है एक इसमे प्रोफैसर को रख लिया और एक आध भाायद हमारे जैसे मैम्बर को इसलिये रख लिया कि हो सकता है हमें अपने प्रभाव में ले लें। मैं उनकी इस अमैंडमैंट का समर्थन नहीं करती क्योंकि अगर किसी प्राध्यापक के खिलाफ कोई ि ाकायत है, वह बुरा आदमी है, या कोई एंटी सो ाल एलीमैंट है, अगर उसके खिलाफ चार्जिज प्रूव हो जायें तो उसे वैधानिक ढंग से निकाला जा सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा आर्ये जी ने बंद नही किया। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री देवेंद्र भार्मा (थानेसर): स्पीकर साहब, इस बिल को लाने से सिलैक्टिड क्लास आफ दि सोसाइटी यानी इंटैलैक्चुअल सैक ान आफ दि सोसाइटी का कल्याण किया जा रहा है, मैं इसके लिये अपनी तरफ से सरकार को बधाई देता हूं। मगर कुछ टर्म्ज इस बिल में ऐसी है जिनका वेग तौर पर इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर साहब, भाांति राठी जी तो खुद टीचर रही है। मेरा किसी कालेज की मैनेजमैंट से या किसी कालेज से किसी किस्म का वास्ता नहीं है। मैं प्रोफैसर लोगों से ज्यादा रहता हूं क्योंकि मैं खुद पी0एच0डी0 कर रहा हूं। इस लिहाज से प्रोफैसर

लोगों के बीच मेरा रहना मुनासिब भी है। मेरी इच्छा यह थी कि मैं भी एक प्रोफैसर लोगों के बीच मेरा रहना मुनासिब भी है। मेरी इच्छा यह थी कि मैं भी एक प्रोफैसर बनूं क्योंकि मैंने देखा कि यू0जी0सी0 ग्रेड मिलने के बाद यह सारे हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा पे लेते है और काम का जहां तक ताल्लुक है, काम सबसे कम करते है। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती भाांति देवीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। यह प्राइवेट कालेज के टीचर्ज की सेवा सुरक्षा का बिल है न कि उनके वेतन का। उनको जो नये ग्रेड दिये गये है वे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिये गये है और लागू किये गये है.....

श्री देवेन्द्र भार्माः मेरी बात को जरा ध्यान से रुन लैं मै आगे उसी बात पर आउंगा। इसी यू0जी0सी की रिपोर्ट में यह लिखा है कि यह पे–स्केल देने के बाद उनको इतना टाईम कालेज मे जरूर रहना पडेगा। उसको कोई टयू ान नहीं करनी चाहये और उसके अलावा जो एग्जामिने ान का काम होात है , वह भी करना पडेगा । एग्जामिने ान का दो तरह का काम होता है एक तो सुपरवीजन का और दूसरा कापियां देखने का। मै इन प्रोफैसर्ज को आई0ए0एस0 अफसरों से भी इन्टैलीजन्ट मानता हूं क्याकि इसमें वही लोगा आ पाते है जो फर्स्ट क्लास ग्रैजुएट्स या पोस्ट ग्रैजुएट्स होते है जबकि इनके मुकाबले में कोई भी थर्ड क्लास ग्रैजुएट्स एग्जाम में बैठ कर आई0ए0एस0 बन सकता है। अब तो

इस बिल के जरिये इतनी ज्यादा प्रोटैक ान दे दी गयी है। कि जो प्रौफेसर काम नही ंकरते उनके खिलाफ भी मैनेजमैंट अगर जायज तरीके से एक ान लेना चाहे तो वही नहीं ले सकती है। स्पीकर साहब, इतना लैन्थी प्रोसैस बना दिया गया है कि किसी के खिलाफ यदि कोई एक ान लेना हो तो चार सौ किस्म की कार्यवाही करनी पडेगी। स्पीकर साहब, 1975 से लेकर 1977 तक एमरजैन्सी के दौरान जो प्रौफैसर अपनी सर्विस से हाथ धो कर बैठे रहे, उनको कोई स्टैच्युरी प्रोटैक ान नहीं । सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने हालाकिं स्टैट गवर्नमेंटस को यह डायरैक ान दी कि जितने टाईम तक ये प्रोफैसर्ज सर्विस से बाहर रहे, उस टाईम का उनको पैसा दे दो लेकिन अभी तक भी उनको कोई पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्षः कृपया बिल के बारे में ही रैलेवैन्ट बात कहें।

श्री देवेन्द्र भार्माः चौधरी रिजक राम जी ने जो अमैंडमेंट इस बिल के बारे में दिया है उसके बारे में मैंबर्ज यसको थोडा सा आब्जैक न है। इसलिये या तो वे खुद उसमें चेंज कर सकते ह या फिर आपको अखितयार है, आप उमें चेंज ाकर सकते है। मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी से पास किया जाये क्योकि यह एक बडा टच्ची सा मामला है और सारी स्टेट की पढाई को अफैक्ट करता है। इस बिल से एक बहुत बडे सैक ान का भला होने वाला है, इसे तो पहले ही पास कर देना चाहिये

था। अब क्योंकि यह बिल आया है, चाहे देर में ही आया है, इसे पास कर देना चाहिये। इसमें जो वेग सी टर्म्ज है उसके बारे में मैनेजमेंट भी औब्जैक्ट करेगी और हो सकता है प्रोफैसर भी इस बारे में औब्जैक्ट करे और इससे किसी भी प्राइवेट कालेज में कन्जीनियल एटमौस्फीयर नहीं रहेगा। इसलिये मैं चोधरी रिजक राम जी के पास सं ाोधन के साथ हूं। कि इसके लिये एक कमेटी भी बना दी जाये । धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री मूलचन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस रीडिंग पर क्लोजर मो ान मूव करता हूं कि डिबेट अब क्लोंज की जाये।

श्री अध्यक्ष: मेरा विचार है कि अभी एक–दो मैंबर और बोल लें।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, मैं इस बिल को लाने के लिये बजुके ान मिनिस्टर साहब का और सरकार का भाुक्रिया अदा करता हूं कि वे यह बिल लाये है। लेकिन इस बिल के साथ ही इसमे यह भी जोड दिया जाये कि जो अध्यापक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते है या पढ़ाती है, वे अक्सार पीरियड में नही पढाते। कालेजों में भी यही होता है कि अध्यापिकायें अक्सर स्वैटर बुनती रहती है पढाती नही है। अब यह बिल आने से उनकी नौकरी को और जयादा हिफाजत हो गयी है इसलिये वे अब और ज्यादा काम नहीं करेगी। इसलिये मैं यह

चाहता हूं कि इस तिबल में यह भी जोड दिया जाये कि जो अध्यापिकायें बच्चों को न पढायें उनको हटा दिया जाये।

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, बात चल रही है वि वविद्यालयों की, ओर ये महानरुभाव स्वैटर बुनने की बात कह रहे ह। यह उचित बात नहीं लगती।

चौधरी लाल सिंहः मैं सब के बच्चों की रक्षा की बात कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि एक कालेज नारायणगढ़ में भी खोल दिया जाये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं बर साहिबा भी गलत बोल गयी है। उन्होने यह कहा कि वि वविद्यालय की बात चल रही है, यहां पर महाविद्यालय की बात चल रही है वि वविद्यालय की नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्षः चौधरी रिजक राम जी, क्या आप अपनी अमैंडमेंट वापिस लेना चाहते हो?

चौधरी रिजक रामः पहले मंत्री महोदय अपने विचार बता दें, उसके बाद मैं एक मिनट ले लूंगा।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, जो बिल मैने हाउस में पे ा किया है उसके बारे में जो चर्चा हुई है, उसमें चौधरी रिजक राम जी ने यही कहा है कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में पे ा किया गया है। इसलिये चौधरी साहब ने अपनी

अमैंडमेंट पे ा की है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा, जनता पार्टी का भाासन आते ही जब आप ि ाक्षा मंत्री थे तो उस वक्त एक सर्वे कमेटी मुकर्रर की गयी थीं क्योकि आपको याद होगा सब जगह प्राइवेट कालेजिज के प्रोफसर्ज से लगातार मांग आ रही थी कि उनकी सर्विस सिक्योरिटी नहीं है, वह उन्हे प्रदान की जाये। लोगों ने प्राइवेट कालेजिज को एक तरह से दुकानें बना रखा था। इन दुकानों में एम्पलाईज को बड़ी बेरहमी के साथ और गलत तरीके से निकाला जाता था। अध्यक्ष महोदय, उस सर्वे कमेटी में सरकार की तरफ से डी0पी0आई0 और दूसरी तरफ प्राइवेट कालेजिज की मैनेजमैंटस के मैंबर्ज तथा एम्पलाईज के रिप्रेजेन्टैटिव्ज थे। बड़े विस्तार से उस मामले पर विचार किया गया। उस कमेटी के विचार करने के बाद यह मामला कैबिनेट के सामने आया। कैबिनेट में आने के बाद फिर एक सब–कमेटी ओर बनाई गई और इसको पूरी तरह से एग्जामिन किया गया। क्योंकि ि ाक्षा का मामला ऐसा मामला है जिससे राश्ट्र का निर्माण होता है इसलिये कैबिनेंट की एक सब–कमेटी बनाई गई और बडी गहराई से ि ाक्षा की इस गम्भर समस्या को देखा गया। स्पीकर साहब, सिक्योरिटी आफ सर्विस का एक्ट बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन इसमें काफी देर हो गई है। मैं ज्यादा न कहते हूये इतना ही कहना चाहता हूं कि चौधरी रिजक राम और देवेन्द्र भार्मा ने कुछ एतराज किये है लेकिन इन्होने किसी भी सैक ान या किसी भी क्लाज के बारे मे कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है कि

क्यो अमैंडमेंट होनी चाहिये। अगर ये कोई ठोस सुझाव दे तो उसके बारे में सोचा जा सकता है।

चौधरी संत कवंर : आन ए प्वांयट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब से क्लेरीफिके ान चाहता हूं कि जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कालेज है, वे भी इसमें भाामिल हैं या नहीं?

श्री हीरानन्द आर्यः स्पीकर साहब, यहा पर मिसयूज आफ पावर की बात कही गई है। सिक्योरिटी आफ सर्विस एक्ट स्कूलज के सम्बन्ध में भी है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने कभी मिसयूज आफ पावर की हो। अगर ये स्कूल के सम्बन्ध में मिसयूज आफ पावर का एक भी इंस्टांस दे देते जिसमें एम्पलाइज के साथ कोई ज्यादती की गई हो तो मैं मानता और वास्तव में मैं सोचता कि विचार करने की कोई बात है। स्पीकर साहब, जैसा कि मेने पहले कहा कि इस तरह का बिल पहले ही आ जाना चाहिये था और अब मैं प्रार्थना करूंगा कि चौधरी रिजक राम अपनी अमैंडमेंट विदड्रा करें क्योंकि यह बिल बडे सोच विचार के बाद लाया गया है।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह बिल सरकुलेट होने के बाद मंत्री महोदय से मेन विचार विम र्ा किया था औरउन्होने अपनी राय जाहिर की थी कि उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। उसी विचार को सामने रखकर यह सं ाोधन पे ा कियागया था। मैं दो भाब्दों में एक

बात कहना चाहता हूं कि ऐमपलाइज आर्ब्ट्रे ान कोड के तहत ऐम्पलाइज वाइस चांसलर को रैफ्रेन्स के लिये रिक्वेस्ट कर सकते है कि that matter should be referred to arbitration और उसमें एक टीचर्ज का नुमांइदा, एक मैनेजमैंट का और वाइस चांसलर ये तीनेां बैठकर जो फैसला करे वह माना जाता है इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। बहिन भाांति राठी ने कहा कि इनको कोई कालेज चलाने का ऐंक्सपीरिएंस नहीं है लेकिन मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी संस्था का इंतजाम हमारे हाथ में है जो हरियाणा और पंजाब में ही नहीं भारत में उत्तम स्थान रखती है। पहली तारीख नहीं होने पाती कि उसके अध्यापको को चैक के जरिये तनखाह दी जाती है। गवर्नमेंट ने जो ग्रेडज मुकर्रर किये है वे वहां पर भी मुर्कर्रर किये हुये उस सारी संस्था में आठ नौ हजार स्टूडेंटस हैं रिजल्ट का यह हाल हैं कि पहला, दूसरी तीसरा चौथा और पांचवा स्थान मैरिट लिस्ट में उस संसाि के विद्यार्थियों का होता हैं ि ाक्षा का माहौल ऐसी होना चाहिये कि वहां पर गुटबन्दी न हो और आपस में नाराजगी का माहौल पैदा नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा माहौल होगा तो ि ाक्षा चल नहीं सकती। स्पीकर साहब, मैं एक किताब पढ रहा था उसमें बडे सियाने आदमियों ने बातें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि अगर महिला कोई गलत बात भी कहती है तो भी उनसे जिद नही करनी चाहिये। बहिन सुशमा जी ने और भाांति राठी ने बहुत सी बातें की है। उनकी बातें मानना ही ठीक है क्योकि उन्होनें तो मानना ही नहीं है। इसलिये मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुये और आ ाा

करते हुये कि इस बिल को लागू करने में इस बात का ध्यान अव य रखा जायेगा कि ि ाक्षा जो विद्यार्थियों की जिन्दगी का सवाल है उसमें कोई अडचन न होने पाये । मैं टीचर्ज का बडा आदर करता हूं लेकिन कुछ ऐसी बातें होने लगी है जो कभी सोची भी न थी। लडको के इम्तहान होने लगते है और टीचर्ज हड़ताल पर बैठ जाते है। मैने देखा है कि जनवरी और फरवरी के महीने बच्चों के पढाई के महीने होते है और उस वक्त वे हड़ताल पर चले जाते है। आज के टीचर्ज के दिल में विद्यार्थी काहित नहीं है। वे ि ाक्षक कहलाने के हकदार नहीं है। बच्चों के कैरियर का सवाल है, बच्चों के भविश्य का सवाल है और वे स्ट्राइक पर चलें जायें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप उनके हित की बात सोच रहे है लेकिन जो कुछ मैने कहा है सरकार उस पर गोर कर लें क्योकि यह किसी की जायदाद नहीं है। सरकार का ध्येय है कि स्कूल ओर कालेजों का वातावरण अच्छा रहे, ि ाक्षा का स्तर उंचा रहे। मुख्य मंत्री महोदय और ि ाक्षा मंत्री के सामने भी वही कठिनाइयों है जो हमारे सामने है ओर मैं समझता हूं कि वे उन पर विचार करेगे।स्पीकर साहब जैसा कि ि ाक्षा मंत्री जी ने फरमाया है उसको ध्यान में रख कर मैं चाहता हूं कि मैनें जो सं ाोधन पे ा किया है उसको वापिस ले लूं। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और अपनी जगह लेता हूं।

Mr. Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

(Voices: Yes)

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Me. Speaker: Question is-

That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

आवाजें: इक्टठी ही पुट कर दें।

क्लाजिज 2 से 7

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि क्लाजिज 2 से 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 8

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, कलाज 8 के बारे में मैं यह कहूंगा कि एक तो जुडि ायल ओर क्वासी जुडि यल प्रोसीडिग्ंज होती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिगज होती है। अगर इसमें सिविल कोर्टस को डिबार किया जाता है तो जो भी प्रोसीडिग्जं होगी चाहे उसे डी0पी0आई0 एज प्रजाइडिंग अफसर करे, वे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव

प्रोसीडिंग्ज होगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो यह ख्याल है कि वे अध्यापको की सर्विस की सिक्योरिटी के लिये यह बिल ला रहे है तो मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा उनका हित नहीं बल्कि अहित हो रहा है क्योकि अगर उनके फंडामैंटल राइटस छीने जा रहे हो तो यह उएनका अहित ही होगा। इसमें सरकार का फैसला आखिरी रखा गया है। इससे सरकार मैनेजमैंट के दबाव में आकर बहुत से ऐसे काम करेगी जिनसे अध्यापको का अहित होगा। इसलिये मैं दर्खास्त करूंगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हूये मंत्री महोदय इस क्लज को वापिस ले लें। अगर वे इसको वापिस नहीं लेना चाहते तो हमस दन से वाक आउट कर जायेगें। ऐसा करने से मौलिक अधिकारों का गला घोटनें वाली बात है। यह सकरार दावे करती थी कि हम प्रजातन्त्र को बहाल करेगें और इनके चुनाव घोशणापत्र में भी यह बात थी कि हम दलित वर्ग को और छोटे आदमी को अदालतों तक जाने का अवसर देगें लेकिन इस बिल के द्वारा ये समाज के सब से इन्टेलीजैंट वर्कर को अदालतों मे ंजाने से रोक रहे है। इसे बडा अप्रजातन्त्रिक काम कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा काम कर रहे है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती।।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाक आउट

आवाजें: स्पीकर साहब, इसके विरोध में हम एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करते है।

(इस समय सर्वश्री बीरेन्द्र सिंह, जगजीत सिंह पोहलू मांगे राम गुप्ता और इन्द्रजीत सिंह वाक आउट कर गये)

दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ ससर्विस) बिल, 1979 (पुनरारम्भ)

क्लाजिज 9 से 16

श्री अध्यक्ष: प्र न है –

कि क्लाजिज 9 से 16 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है –

कि टाइटल बिल का टाइटल बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्दआर्य): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन अनिि चत काल के लिये स्थगित किया जाता है।

13.45 बजे

(The Sabha then *adjourned Sine-die.)